रजिस्टर्ड सं० (डी)-73 REGISTERED NO (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 1974/आषाढ़ 22, 1896
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 1974/ASADHA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार)

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

सा० का० नि० 721.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्ग 3 और वर्ग 4) भर्ती नियम, 1968 में,

(i) नियम 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्:—

"5. निरर्हताएं: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद में रिक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विभाग के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी"।;

(ii) नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित होगा, अर्थात्:—

"7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"

(iii) अनुसूची में,

(i) स्तम्भ 1 में, "दफ्तरी" के शब्द के लिए, "दफ्तरी/जमादार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दफ्तरी के पद के सामने स्तम्भ 2 में अंक "4" के लिए, अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) जमादार के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० ए-12018/1/74-प्र०]
एम० एल० सम्पथकुमारन,
अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

(Administrative Reforms)

New Delhi, the 27th June, 1974

G.S.R. 721.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Administrative Reforms (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1968,

(i) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".;

(ii) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard".;

(iii) in the Schedule,

(i) in column 1, for the word "Daftry", in column 1, the words "Daftry/Jamadar" shall be substituted;

(ii) for the figure "4" in column 2 against the post of Daftry, the figure "5" shall be substituted;

(iii) the entries relating to the post of Jamadar shall be omitted.

[No. A-12018/1/74-Admn.]
M. L. SAMPATHKUMARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

सा० का० नि० 722.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम 8 अप्रैल 1973 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 1969 के नियम 20 में उप-नियम (1) के नीचे की चयन ग्रेड से सम्बन्धित टिप्पणी को हटा दिया जाएगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम 20 के उपनियम (1) के नीचे की टिप्पणी केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 1 के ऐसे अधिकारियों द्वारा, जिन्हें ग्रेड-1 में में छ वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी करने से पहले ही चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया था, चयन ग्रेड में वेतन वृद्धियां लिए जाने के सम्बन्ध में एक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था है। तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के स्वीकार किए जाने, वेतनमानों में संशोधन किए जाने और पदोन्नति के लिए पात्रता की अवधि को 6 वर्ष से घटा कर 3 वर्ष किए जाने के बाद इस प्रकार के प्रतिबन्धात्मक रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि इस प्रतिबन्धात्मक शर्त को 8 अप्रैल, 1973 जोकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-1 के अधिकारियों के सबसे पहले बैच की चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता की तारीख है, से हटा दिया जाए। तदनुसार, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 को 8 अप्रैल, 1973 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 10/1/74 के० से० 2]
के० बी० नायर,
अवर सचिव

New Delhi, the 27th June, 1974

G.S.R. 722.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Third Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 8th day of April, 1973.

2. In the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, in rule 20, the Note below sub-rule (1) relating to Selection Grade shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The note below sub-rule (1) of rule 20 contained a restrictive provision regarding drawal of increments in the Selection Grade by Grade I officers of the Central Secretariat Stenographers Service who were promoted to the Selection Grade before putting in six years of approval service in Grade I. After the revision of pay-scales consequent on the acceptance of the recommendations made by the 3rd

Pay Commission and the reduction of the eligibility period for promotion from 6 years to 3 years, the need for such a restrictive clause no longer exists. It has accordingly been decided to remove this restrictive condition from the 8th April, 1973, which is the date on which the first batch of Grade I officers became eligible for promotion to the Selection Grade of the Central Secretariat Stenographers Service. Accordingly the Central Secretariat Stenographers Service (Third Amendment) Rules, 1974 are being given retrospective effect from the 8th April, 1973. It is certified that the interests of no one will be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[No. 10/1/74-CS-II]

K. B. NAIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

सा० का० नि० 723.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, में सीनियर गेस्टेटनर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (सीनियर गेस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद संख्या इसका वर्गीकरण, वेतनमान, भर्ती की पद्धति आयु सीमा और अर्हताएं आदि

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इस से सम्बन्धित अन्य मामले संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 13 तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. अनर्हता—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का समझौता किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती हो और ऐसा करने के अन्य आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बन्धन से छूट दे सकती है।

4 छूट देने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है तो लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

5 व्यावृत्ति—इन नियमों की किसी भी बात द्वारा उन आरक्षणों तथा रियायतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने आवश्यक हैं।

अनुसूची

लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सेवा सीमा	सीधी भर्ती के किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सीनियर गेस्टेटनर आपरेटर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III अलिपिक वर्गीय अराजपत्रित	रु० 110-3-131	गैर चयन	21 से 25 वर्ष के बीच	(1) मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, (2) सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कम से कम तीन वर्ष का गेस्टेटनर ऑपरेटर का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/स्थानान्तरण से भर्ती किए जाने पर उन श्रेणी के ग्रेड जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किए जाने है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है।	विभागीय परिस्थितियां जिनसे भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।
8	9	10	11	12	13
नही	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**पदोन्नति द्वारा** . गेस्टेटनर आपरेटर के ग्रेड से जिसके साथ उक्त ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा तथा गस्टेटनर मशीन को चलाने में दक्षता हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/उपक्रमों आदि के कार्यालयों में समकक्ष अथवा समरूप ग्रेडों से।	श्रेणी III डी० पी० सी०	लागू नही होगा

[संख्या 32/8/1/74-प्रशिक्षण]

कु० शान्ता राव, अवर सचिव

New Delhi, 27 June, 1974

G. S. R. 723 —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Gestetner Operator in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Senior Gestetner Operator) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **The number of the post, its classification, scale of pay, method of recruitment, age limit and qualifications** —The number of the post, its classification, the scale of pay attached thereto, the method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 2—13 of the Schedule hereto annexed.

3. **Disqualification** .— No person—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted, a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to relax** .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie

'Department of Personnel and Administrative Reforms'

(Recruitment Rules for the post of Senior Gestetner Operator)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Gestetner Operator	one	General Central Class III-Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 110-3-131	Non-Selection	Between 21-25 years.	(i) Must have passed Matriculation (ii) Must have at least 3 years experience as Gestetner Operator in Government/ Semi Government offices.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recuritment whether by direct rectt. or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of rectt. by promotion/transfer grades from which promotion to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By Promotion failing by transfer/deputation, failing both by direct recruitment	**By Promotion** : from the grade of Gestetner Operator with at least 3 years' service in the grade and having proficiency in handling Gestetner machines. **Transfer/Deputation** : from similar or equivalent grades in the offices of Central Government or State Government/ Undertakings etc.	Class III	Not applicable

[No. 32/E/1/74-Trg.]

MISS SHANTA RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 724.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) तथा उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवाँ संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक 'मणिपुर सरकार के अधीन पद' में 'राजस्व, भूमि सुधार तथा कर आयुक्त' तथा 'उद्योग निदेशक तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां' प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः 'राजस्व आयुक्त' तथा 'उद्योग निदेशक' प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 10/6/74-अ० भा० से (2)क]

New Delhi, the 1st July, 1974

G.S.R. 724.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1), and the first proviso to sub-rule 2, of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Manipur hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre strength) Seventh Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, under the heading "MANIPUR-TRIPURA", under the sub-heading "Post under the Government of Manipur", for the entries "Commissioner for Revenue, Land Reforms and Taxes", and "Director of Industries and Registrar of Cooperative Societies", the entries "Revenue Commissioner" and "Director of Industries" shall be substituted respectively.

[No. 10/6/74-AIS(II)-A]

सा० का० नि० स० 725.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1974 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954,—

(क) 'अनुसूची III में—क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद, कालम 2 में मणिपुर राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टियों में 'राजस्व, भूमि सुधार तथा कर आयुक्त प्रविष्टि के स्थान पर 'राजस्व आयुक्त' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी'।

(ख) 'अनुसूची III में—ख-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान के वेतन वाले पद, (जिनमें समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल है) कालम 2 में मणिपुर राज्य से सम्बन्धित प्रविष्टियों में 'उद्योग निदेशक तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां' प्रविष्टि के स्थान पर 'उद्योग निदेशक' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।'

[सं० 10/6/74-अ० भा० सं०-(2)ख]

एस० हबीबुल्लाह, अवर सचिव।

G.S.R. 725.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951, (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Manipur, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) in 'Schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments, in the entries relating to the State of Manipur, in column 2, for the entry "Commissioner for Revenue, Land Reforms and Taxes", the entry "Revenue Commissioner" shall be substituted'.

(b) in 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the Senior time scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the entries relating to the State of Manipur, in column 2, for the entry "Director of Industries and Registrar of Cooperative Societies", the entry "Director of Industries" shall be substituted'.

[No. 10/6/74-AIS(II)-B]

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

विधि बोर्ड

नई दिल्ली, 26 जून, 1974

सा० का० नि० 726.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना स० सा० नि० 443 (ङ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिसूचना," कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स हिताची लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्याधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् —

यदि 31-3-1974 व 31-3-1975 के वित्तीय वर्षों की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(क) कम्पनी द्वारा अपने उद्भव देश में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये विश्व लेखे की प्रतियां,

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 592 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका तामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारत में शासप्राप्त लेखापाल द्वारा सम्यक प्रमाणित भारतीय शाखा द्वारा प्राप्तियों एव वितरणों का विवरण।

(ग) उपरोक्त मद (ख) में वर्णित ढंग से प्रमाणित कम्पनी की भारत में परिसम्पत्तियों एव देनदारियों का विवरण-पत्र

(घ) उपरोक्त मद (ख) में वर्णित व्यक्तियों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि इस कम्पनी ने भारत में अपने व्यापार की स्थापना से अब तक कोई व्यापार नहीं किया है।

[फा० स० 14/1/74-सी०एल-6]

अशोक नाथ, अवर सचिव।

MINISTRY OF JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Law Board)

New Delhi, the 26th June, 1974

G.S.R. 726.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Government of India, Department of Company Affairs notification No. G.S.R. 443(E), dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216, dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Hitachi Limited (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if in respect of the financial years 31-3-1974 and 31-3-1975, the company submits to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate:—

(a) three copies of its world accounts as filed by the company with a prescribed authority in its country of origin;

(b) a statement of receipts and disbursements made by the Indian Branch duly certified by the person authorised to accept service of process in India, on behalf of the company under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Companies Act, 1956 and by a Chartered Accountant in India.

(c) a statement of company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (b) above; and

(d) a certificate from the persons mentioned in item (b) above to the effect that the company has not carried on any business in India since establishment of its place of business.

[F. No. 14/1/74-CL.VI]

ASHOK NATH, Under Secy.

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई 1974

सा० का० नि० 727.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में न्याय विभाग में भारत सरकार के उप-सचिव श्री एल० डी० हिन्दी को, एतद् द्वारा, उस अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करती है जोकि 17 जून, 1974 से श्री के० थ्यागराजन, उप-सचिव, न्याय विभाग, के छुट्टी पर चले जाने पर उनकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नोटरीज के संबंध में उक्त नियमों के अधीन "सक्षम प्राधिकारी" के कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[संख्या 22/37/74-न्याय]

नि० मुकर्जी, सचिव

(Department of Justice)

New Delhi, the 1st July, 1974

G.S.R. 727.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 4 of the Notaries Rules, 1956, the Central Government hereby designates Shri L. D. Hindi, Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Justice, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, as the officer who will discharge the functions of the Competent Authority under the said Rules in relation to Notaries appointed by the Central Government in the absence on leave of Shri K. Thyagarajan, Deputy Secretary in the Department of Justice, with effect from 17th June, 1974

[No. 22/37/74-Jus.]

N. K. MUKARJI, Secy.

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

नई दिल्ली, 29 जून, 1974

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम, 1974

सा० का० नि० 728.—एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 18 और 66 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, निम्न-लिखित विनियम बनाता है अर्थात् —

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन —(1) इन विनियमों का नाम "एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम, 1974" है और ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

(2) इनका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

2. अद्यतन यथा-संशोधित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन विनियमों के निर्वचन को लागू होगा तथा उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में, अद्यतन यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में और इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

परिभाषाएं

3. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) 'अधिनियम' से एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है,

(ख) "आवेदक" से रजिस्ट्रार अभिप्रेत है, और अधिनियम की धारा 41 के अधीन किए गए आवेदनों की दशा में इसके अन्तर्गत "कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति" भी है,

(ग) अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट "किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत विनिर्माता प्रदायक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता तथा व्यापार, उपभोक्ता और ऐसे वितरणीय व्यापार के कर्मचारी संगम, जिनमें कम से कम पच्चीस व्यक्ति सदस्य हों, भी है ;

(घ) "पीठ" से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन बनाया गया आयोग का पीठ अभिप्रेत है,

(ङ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अभिप्रेत है,

(च) 'अन्वेषण निदेशक" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त अन्वेषण निदेशक अभिप्रेत है,

(छ) 'रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 34 के अधीन नियुक्त अवरोधक व्यापारिक करार रजिस्ट्रार अभिप्रेत है,

(ज) "किसी करार के पक्षकार" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पक्षकार समझा जाए,

(झ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों को लागू करते समय "न्यायालय" के प्रति निर्देश को आयोग के प्रति निर्देश समझा जाएगा और इसी प्रकार "वादी" या "प्रतिवादी" के प्रति निर्देश को आयोग के समक्ष समुचित पक्षकारों के प्रति निर्देश समझा जाएगा,

(ञ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों को लागू करते समय "वाद या याचिका" के प्रति निर्देश को अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियों के प्रति निर्देश समझा जाएगा,

(ट) 'सचिव" से आयोग द्वारा नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत उप-सचिव और प्रशासन अधिकारी भी होंगे।

आयोग की भाषा

4. आयोग की कार्यवाहियों का संचालन अंग्रेजी भाषा में होगा।

5. कोई भी ऐसा आवेदन, निर्देश, दस्तावेज या अन्य विषय जो अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा में हो तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद न हो।

6. अंग्रेजी में अनूदित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों का अनुवाद ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या अनुमोदित किया जाए

परन्तु किसी ऐसे अनुवाद को जिसके संबंध में कार्यवाहियों के पक्षकार सहमत हों समुचित मामलों में सही अनुवाद के रूप में प्रतिगृहीत किया जा सकेगा।

आयोग का कार्यालय

7. आयोग का केन्द्रीय कार्यालय ऐसे समयों पर खुला रहेगा जैसा अध्यक्ष निदेश दे।

8. यदि किसी कार्य को करने से सम्बद्ध अन्तिम दिन वह दिन हो जब आयोग का कार्यालय बन्द हो और इस कारण से वह कार्य उस दिन न किया जा सकता हो, तो वह अगले दिन, जिस दिन कार्यालय खुला हो, किया जा सकेगा।

9. यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाए तो आयोग किन्हीं कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर पक्षकारों या उनमें से किसी को समय दे सकेगा और समय-समय पर कार्यवाहियों की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

10. यदि सुनवाई के लिए नियत किए गए दिन को या किसी अन्य ऐसे दिन को जिस तक सुनवाई स्थगित की जाए पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं होता तो, कार्यवाहियां, जब तक कि वे आयोग द्वारा स्थगित न की जाएं, इस प्रकार उपस्थित न हुए पक्षकार की अनुपस्थिति में जारी रहेंगी।

आयोग के समक्ष अभिवचन

11. आयोग के समक्ष फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी आवेदन, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक अभिवचन, कागज-पत्र, आदि फुल-स्केप साइज पेपर पर डबल स्पेस में टाइप किए जाएंगे।

दस्तावेजों, कागज-पत्रों आदि का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां

12. (1) आयोग के समक्ष की किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार को, अधिनियम की धारा 17, 18 और 60 के उपबंधों के अधीन, उस निमित्त उसके द्वारा किए गए किसी ऐसे आवेदन पर, जो सचिव को सम्बोधित किया गया हो, विहित फीसों और प्रभारों का संदाय कर देने पर, मामले में के अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(2) आयोग, अधिनियम की धारा 17, 18 और 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जो कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं है, और अच्छा हेतुक दर्शित किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को, विहित फीसों और प्रभारों का संदाय कर देने पर, ऐसा निरीक्षण करने या ऐसी प्रतियां प्राप्त करने की, जो ठीक पूर्ववर्ती उप-विनियम में उल्लिखित है, अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) निरीक्षण केवल आयोग के अधिकारी की उपस्थिति में ही अनुज्ञात किया जाएगा और दस्तावेजों, आदि की प्रतियां लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी किन्तु निरीक्षण के नोट लिए जा सकेंगे।

(4) इस विनियम के उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन अपेक्षित प्रतियां सचिव, उप-सचिव-प्रशासन अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आयोग द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, सही प्रतियों के रूप में प्रमाणित की जा सकेंगी।

(5) नकल करने के प्रभारों की गणना ऐसी सामग्री के, जिसमें विवरणों और अंकों का टाइप किया जाना अन्तर्वलित न हो, 200 शब्द के एक पृष्ठ या उसके भाग के लिए एक रुपए की दर पर और जिसमें विवरणों/अंकों का टाइप किया जाना अन्तर्वलित हो, उसके 100 शब्द/अंक के एक पृष्ठ या उसके भाग के लिए एक रुपए की दर पर, की जाएगी। निरीक्षण के लिए फीस की गणना, निरीक्षण के प्रति घंटे के लिए दस रुपए की दर पर, की जाएगी।

आयोग की रिपोर्ट

13. आयोग की प्रत्येक रिपोर्ट पर, यथास्थिति, आयोग या पीठ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर तारीख डाली जाएगी। आयोग का ऐसा कोई सदस्य जो बहुसंख्या के विचार से विसम्मत हो, अपने कारणों को अलग से अभिलिखित कर सकेगा। केन्द्रीय सरकार को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट सरकार को सचिव के हस्ताक्षर से भेजी जाएगी।

विहित समय का बढ़ाया जाना या न्यून किया जाना

14. किसी कार्य को करने के लिए इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को (चाहे वह पहले ही समाप्त हो गया हो या नहीं) आयोग के आदेश द्वारा या, यहां के सिवाय जहां आयोग अन्यथा निदेश दे, पक्षकारों के लिखित करार द्वारा, बढ़ाया या न्यून किया जा सकेगा।

अनुपालन का प्रभाव और ऐसे विषयों को जिनके सम्बन्ध में उपबंध नहीं किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू किया जाना

15. इन विनियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता, किन्हीं कार्यवाहियों को तब तक अविधिमान्य नहीं बनाएगी जब तक आयोग ऐसे निदेश न दे, और किसी ऐसे विषय की बाबत जिसके संबंध में इन विनियमों में कोई भी उपबन्ध नहीं किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध आयोग के समक्ष की कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित वहां तक लागू होंगे जहां तक कि ऐसे उपबंध अधिनियम में या इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से किए गए किन्हीं उपबंधों से असंगत नहीं है।

सूचना या अन्य दस्तावेजों की तामील

16. (1) किसी व्यक्ति पर तामील या उसे परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज पक्षकार को या तामील को प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को सम्बोधित की जाएगी और उसके द्वारा तामील के लिए दिए गए पते पर या उस स्थान पर जहां पक्षकार या उसका अभिकर्ता मामूली तौर पर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी, तथा सचिव को परिदत्त या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज आयोग के कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के लिए तात्पर्यित अभिस्वीकृति-पत्र या डाक कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई पृष्ठांकन कि पक्षकार या अभिकर्ता ने परिदान लेने से इन्कार कर दिया है, आयोग द्वारा तामील का प्रथमदृष्टया सबूत समझा जाएगा और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 27 लागू होगी।

(2) व्यापार संगम पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि संगम निगमित निकाय नहीं है तो, संगम के सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैसे ही अधिकारी को भेजी जा सकेगी।

(1) यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज समुचित मंत्रालय या विभाग के सचिव को सम्बोधित की जाएगी और भेजी जाएगी तथा इस विनियम के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में तामील की जाएगी ।

खर्चे

17. (1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सभी कार्यवाहियों के और उनके आनुषंगिक खर्चे आयोग के विवेकानुसार किए जाएंगे और आयोग को यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किन निधियों में से और किस विस्तार तक संदत्त किए जाने है तथा वह पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक निदेश देगा । यह तथ्य कि किन्ही कार्यवाहियों को ग्रहण करने की आयोग को अधिकारिता नही है, वस्तुत. उसके समक्ष की कार्यवाहियों की आवत खर्चे दिलवाने के लिए शक्ति का प्रयोग करने से वर्जित नही करेगा ।

(2) खर्चे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर जैसा कि आयोग, आदेश द्वारा, निदेश दे, संदत्त किए जाएंगे । आयोग के खर्चे दिलवाने वाले आदेश का निष्पादन उसी रीति में किया जाएगा जिसमें कि सिविल न्यायालय के आदेश का किया जाता है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उप-बंध ऐसे आदेश के निष्पादन को लागू होंगे ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

18. यदि इन विनियमो के किन्ही उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो और उन कठिनाइयो को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

अध्याय 2

अन्वेषण निदेशक के कर्तव्य और कृत्य

प्रारम्भिक अन्वेषण और अन्वेषण निदेशक द्वारा रिपोर्ट

19. (1) अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर, आयोग अन्वेषण निदेशक को परिवाद के बारे में जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निदेश देगा ।

(2) आयोग अन्वेषण निदेशक द्वारा निम्नलिखित के बारे मे प्रारम्भिक अन्वेषण करने का आदेश दे सकेगा ।

(क) जब धारा 10 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन या धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त हो;

(ख) जब धारा 10 के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन किया गया हो; और

(ग) जब आयोग अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) के अधीन किसी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार की जांच स्वय अपनी जानकारी या इत्तिला पर, करने का विनिश्चय करे ।

20 आयोग, अन्वेषण निदेशक को प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा करने और ऐसे समय के भीतर जो वह नियत करे, रिपोर्ट (पांच प्रतियां) भेजने का निदेश देगा :

परन्तु अन्वेषण निदेशक के निवेदन पर इस प्रकार नियत किए गए समय को आयोग द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा ।

अन्वेषण निदेशक की रिपोर्टों का गोपनीय होना

21. (1) अन्वेषण निदेशक की रिपोर्टों और उसके द्वारा एकत्रित की गई किसी अन्य सामग्री या साक्ष्य को गोपनीय समझा जाएगा और इसमें अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय किसी पक्षकार को प्रकट नही किया जाएगा ।

(2) अन्वेषण निदेशक की रिपोर्टों और अन्वेषण निदेशक द्वारा एकत्रित किए गए किसी साक्ष्य या अन्य सामग्री को या ऐसी रिपोर्ट, साक्ष्य या सामग्री के, किसी भाग को, आयोग के विवेकानुसार, किसी जांच के किसी प्रक्रम पर, जांच के प्रयोजनों के लिए अभिलेखबद्ध किया जा सकेगा तथा आयोग अभिलेखबद्ध की गई रिपोर्ट, साक्ष्य या सामग्री के अशो को संबंधित पक्षकारो को समुचित करेगा और इस प्रकार अभि-लेखाबद्ध की गई सामग्री के खण्डन करने का उन्हें अवसर देगा ।

(3) जहां अभिलेखबद्ध की गई अन्वेषण निदेशक की रिपोर्ट या उसके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य या सामग्री का किसी पक्षकार द्वारा खंडन किए जाने का निवेदन किया गया हो वहां वह उत्तर देने का हकदार होगा ।

अन्वेषण निदेशक की रिपोर्ट पर कार्रवाई

22. (1) जहां, विनियम 20 के अधीन प्रस्तुत की गई अन्वेषण निदेशक की रिपोर्ट का परिशीलन करने पर, आयोग की यह राय हो कि जांच करने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला नही है वहां आयोग कार्य-वाहियों को, आदेश द्वारा बन्द कर सकेगा । ऐसी दशा में आयोग ऐसा विनिश्चय करने से पूर्व, निर्देश या निवेदन करने वाले परिवादी या प्राधिकारी की सुनवाई करेगा ।

(2) जहां विनियम 20 के अधीन प्रस्तुत की गई अन्वेषण निदेशक की रिपोर्ट का परिशीलन करने, पर आयोग यह समझता है कि और अन्वेषण करना आवश्यक है, वहां वह अन्वेषण निदेशक को ऐसा और अन्वेषण, करने का जैसा आयोग आवश्यक समझे, तथा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

23. जहां, यथास्थिति, विनियम 20, या विनियम 22 के उप-विनियम (2), या दोनों के अधीन प्रस्तुत की गई अन्वेषण निदेशक के रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात आयोग की यह राय हो कि किसी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के बारे में जांच की जाये, वहां यह ऐसा आदेश देगा और ऐसी जांच इन विनियमों के अध्याय 9 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

24. जहां, यथास्थिति, विनियम 20, या विनियम 22 के उप-विनियम (2), या दोनों, के अधीन प्रस्तुत की गई अन्वेषण निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, आयोग की यह राय हो कि धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार की जांच, स्वयं उसकी जानकारी या इत्तिला पर की जाए, वहां विनियम 36 मे यथा विहित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित, अपनाई जाएगी ।

अन्वेषण निदेशक के साधारण कर्तव्य

25. (1) यदि अन्वेषण निदेशक ने या आयोग के किसी अधिकारी ने ऐसे मामलों में प्रारम्भिक अन्वेषण या अध्ययन अथवा अन्वेषण किया हो, तो अन्वेषण निदेशक धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (iii) के अधीन संस्थित की गई जांचो से भिन्न उन सभी जांचो मे, जो अधिनियम के अध्याय 4 और 6 के अधीन संस्थित की गई हो तथा धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (iii) के अधीन संस्थित की गई सभी कार्यवाहियों मे भी हाजिर होने के लिए हकदार होगा .

परन्तु धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (iii) के अधीन संस्थित जांचो में हाजिर होने का अन्वेषण निदेशक का अधिकार केवल उन्ही मामलो तक रहेगा जो उसके द्वारा या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए प्रारम्भिक अन्वेषण या अध्ययन अथवा अन्वेषण में उठते हैं ।

(2) जहां अन्वेषण निदेशक हाजिर होने के लिए हकदार हो वहा वह स्वयं हाजिर हो सकेगा या उसका ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा, जिन्हे वह नामनिर्दिष्ट करे, प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा और/या उसका इस निमित्त सम्यक, रूप से प्राधिकृत काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा ।

26. निदेशक, आयोग द्वारा अपने को न्यस्त किए गए किसी अन्वेषण को अपनी ओर से संचालित करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

अध्याय 3

अवरोधक व्यापारिक करार रजिस्ट्रार के कर्तव्य और कृत्य

27. (1) रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक करारो का एक रजिस्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति में रखेगा और वह उन सभी करारों के ब्यौरे जिनका अधिनियम की धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हो, प्राप्त होने ही रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्टर का एक विशेष अनुभाग रखेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा :—

(क) करार की तारीख,

(ख) करार की विषय-वस्तु और उसके निबन्धन,

(ग) संविदाकारी पक्षकारों के नाम और पते, और

(घ) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) या धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन विशेष अनुभाग में प्रविष्ट करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टिया ।

(3) रजिस्ट्रार, रजिस्टर के विशेष अनुभाग में प्रविष्ट करने के लिए आरक्षित करारो से भिन्न सभी करारो के सभी पक्षकारो के नामों की वर्णानुसार अनुक्रमणिका रखेगा । ऐसे प्रत्येक पक्षकार की बाबत अलग-अलग फोल्डर रखे जाएंगे और फोल्डरो को क्रमानुसार सांख्यिकित किया जाएगा । अधिनियम के अधीन फाइल की गई दस्तावेजो और अन्य करार, प्रथम संविदाकारी पक्षकार के नाम के अनुसार, यथापूर्वोक्त अलग-अलग फोल्डरों मे रखे जाएंगे । अन्य संविदाकारी पक्षकारों के लिए भी एक फोल्डर रखा जाएगा और ऐसे करार के अधीन सम्पृक्त अन्य पक्षकारों से सम्बद्ध फोल्डरों में, यह फोल्डर उपदर्शित करते हुए जिसमें ऐसी दस्तावेजें हैं, साथ ही साथ तत्सम्बन्धी प्रविष्टि की जाएगी ।

28 रजिस्ट्रार ऐसे करारों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं या सेवाओं के अनुसार उनकी एक वर्णानुसार-अनुक्रमणिका, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार रखेगा ।

29 जहां करारो के रजिस्टर मे रजिस्ट्रार को उपलब्ध जानकारी के आधार पर, रजिस्ट्रार की यह राय हो कि किन्ही माल या सेवाओं की बाबत अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अभिभावी है वहां उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (iii) के अधीन आयोग को आवेदन करें ।

अधिनियम की धारा 36 (3) के अधीन आवेदन

30. जहां कोई पक्षकार अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) के अधीन आवेदन करता है वहा रजिस्ट्रार, उस मामले के सिवाय जिसमें वह उसका निपटारा आयोग द्वारा दिए गए किन्ही साधारण निदेशों के अनुरूप करता है, आयोग को वह आवेदन, उसकी तीन अतिरिक्त प्रतियो सहित, प्रस्तुत करेगा और उसके आदेश प्राप्त करेगा ।

31 जहां कोई आवेदन, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को प्राप्त होता है और उसकी यह राय है कि इसका निपटारा आयोग द्वारा दिए गए साधारण निदेशों के अनुरूप किया जा सकता है, वहां वह आवेदक को, अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए, ऐसा अवसर देगा जो वह आवेदन का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे ।

32. अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किए गए आवेदनों के साथ उनकी पांच अतिरिक्त प्रतिया होंगी ।

33 जहां रजिस्ट्रार, धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने के लिए आयोग के किन्ही विशेष निदेशों की वांछा करता है, वहां वह उस आशय का एक आवेदन करेगा और उस आवेदन में ऐसी जानकारी देगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और कागज पत्र होगे जो नीचे वर्णित है :—

(क) निदेश जिनके प्राप्त करने के लिए निवेदन किया गया ;

(ख) संबंधित पक्षकार के आवेदन की प्रति (चार प्रतियों मे) ;

(ग) करार की प्रति (चार प्रतियों में); और

(घ) आवेदन के सम्बन्ध मे रजिस्ट्रार की टीका टिप्पणिया ।

34 जहां रजिस्ट्रार, धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग को किसी पक्षकार के आवेदन को उसका निपटारा आयोग के विशेष निदेशों द्वारा किया जाने के लिए प्रस्तुत करता है, वहां यदि आयोग यह आवश्यक समझे तो वह आवेदक को आयोग के समक्ष अपने मामले का ऐसी रीति में जो आयोग निर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन करने का अवसर देगा । ऐसी कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार को सुना जाएगा और इस प्रयोजन के लिए सुनवाई की तारीख के बारे में उसको भी सूचना भेजी जाएगी ।

अध्याय 4

आयोग के अधिकारियो द्वारा जांच और अन्वेषण

35(1). विनियम 19, 20, 21 और 22 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग, किसी भी समय, अन्वेषण निदेशक को या अपने किसी एक या अधिक अधिकारियों को यह निदेश दे सकेगा कि वह/वे ऐसे किन्ही व्यापारिक व्यवहारों के बारे में जो किसी व्यापार में विद्यमान एकाधिकारी या अवरोधक व्यापारिक व्यवहारो को गठित करे या उनमें योगदान करे या जिनके बारे मे यह अभिकथन है कि वे किसी उत्पादक, वितरक या व्यवहारी अथवा उत्पादकों, वितरकों या

व्यवहारियों के समूह द्वारा किए जा रहे हैं अथवा अधिनियम के अध्याय 3, 4 और 6 या धारा 61 के अधीन किसी आवेदन या निर्देश की बाबत अध्ययन और अन्वेषण करे/करें तथा रिपोर्ट या जानकारी दे/दें, और इस प्रयोजन के लिए आयोग अन्वेषण निदेशक या आयोग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों का कोई ऐसा निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और वह समय नियत करेगा जिसके भीतर रिपोर्ट या जानकारी दी जाएगी। यदि कोई ऐसी रिपोर्ट या जानकारी आयोग को अपर्याप्त प्रतीत हो, तो आयोग अतिरिक्त या अनुपूरक रिपोर्ट या जानकारी के लिए निर्देश दे सकेगा।

(2) अन्वेषण निदेशक या आयोग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों के रिपोर्टों अथवा उसके या उनके द्वारा दी गई जानकारी और उसके या उनके द्वारा एकत्रित की गई अन्य सामग्री या साक्ष्य को गोपनीय समझा जाएगा तथा उन्हें/उसे इसमें इसके पश्चात अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय किसी पक्षकार का प्रकट नहीं किया जाएगा।

(3) अन्वेषण निदेशक या आयोग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की रिपोर्टों अथवा उनके या उनके द्वारा दी गई जानकारी, और उनके या उनके द्वारा एकत्रित किए गए किसी साक्ष्य या अन्य सामग्री को अथवा ऐसी रिपोर्ट, जानकारी साक्ष्य या सामग्री के किसी भाग को, आयोग के विवेकानुसार, किसी जांच के किसी प्रक्रम पर, जांच के प्रयोजनों के लिए अभिलेखबद्ध किया जा सकेगा।

अध्याय 5

अध्याय 3 और 4 के अधीन सरकार द्वारा निर्देश के लिए प्राक्रिया अधिनियम की धारा 21, 22 23, 27 और 31 के अधीन निर्देश

36. (1) जहां कोई निर्देश अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 27 और 31 के अधीन केन्द्रीय सरकार से आयोग को प्राप्त हो वहां आयोग निर्देशों से संबंधित संक्षिप्त विशिष्टियां अधिसूचना के रूप में ऐसे दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जिन्हें वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकेगा जिनमें प्रस्थापना के बारे में ऐसी अवधि के भीतर जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। टिप्पणियां चार प्रतियों में भेजी जाएंगी और टिप्पणियां भेजने वाला व्यक्ति यह कथित करेगा कि वह अधिसूचित प्रस्थापना से संबंधित आयोग के समक्ष होने वाली लोक सुनवाई में भाग लेना चाहता है।

(2) अधिनियम की धारा 27 के अधीन निर्देशों की दशा में, आयोग ऐसे अन्वेषण के पश्चात जो वह ठीक समझे, अपनी अन्तिम राय बनाएगा। तत्पश्चात वह संबंधित उपक्रम/उपक्रमों को निर्देश और अपनी अन्तिम राय की एक प्रति देगा। संबंधित उपक्रम ऐसे समय के भीतर जो आयोग प्रत्येक मामले में नियत करे, अन्तिम राय की बाबत अपने आक्षेपों और/या सुझावों का एक कथन फाइल करेगा/करेंगे।

(3) धारा 31 के अधीन निर्देशों की दशा में, आयोग संबंधित क्रमों को निर्देश का सार देगा और ऐसे उपक्रम/उपक्रमों को निर्देश की विषय-वस्तु के बारे में अपने लिखित कथन यदि कोई हो, चार प्रतियों में, सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर, भेजने की अनुशा देगा।

(4) आयोग आवेदक, संबंधित सरकारी विभागों और ऐसे अन्य पक्षकारों का पता लिख सकेगा जिनसे ऐसी विशिष्टियां और जानकारी मांग सकेगा जो आयोग की राय में आयोग को प्राप्त हुए निर्देश से सुसंगत हो। आयोग को ऐसे पत्रों के उत्तर चार प्रतियों में दिये जाएंगे

(5) आयोग आवेदक, संबंधित उपक्रम/उपक्रमों, किसी सरकारी पदधारी और किसी अन्य व्यक्ति को एक विचार विमर्श करने के लिए बुला सकेगा जो वह जांच के लिए आवश्यक समझे।

(6) आयोग ऐसे स्थापनों का जिनके अन्तर्गत आवेदक या संबंधित उपक्रम/उपक्रमों के भी स्थापन हैं दौरा कर सकेगा और उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर सकेगा यदि आयोग की राय में ऐसे दौरे और विचार-विमर्श जांच के लिए उपयोगी हों।

(7) आयोग निर्देशों से सुसंगत जांचों और विचार-विमर्श के लिए अपने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को ऐसे स्थापनों पर ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए प्रतिनियुक्ति कर सकेगा जो वह उचित समझे और वह ऐसे अधिकारियों की रिपोर्टों पर विचार कर सकेगा।

(8) आवेदक के संबंधित उपक्रम की, उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं और अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त की है कि लोक सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग अवधारित करे, लोक सुनवाई की तारीख के बारे में, सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख से 21 दिन अपर्याप्त सूचित किया जाएगा। वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी टिप्पणियां और यह सूचना भेजी है कि वे लोक सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं आयोग के पास लोक सुनवाई की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व एक कथन फाइल करेंगे जिसमें वे प्रस्तुतवाद होंगे जो वह लोक सुनवाई में कहना चाहता है।

(9) अधिनियम की धारा 17 और 18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग उन व्यक्तियों की सुनवाई करेगा जिनको ठीक पूर्ववर्ती उप-विनियम के अधीन लोक सुनवाई की सूचना भेजी गई है। यदि आयोग आवश्यक समझे तो साक्षियों की, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी है, परीक्षा कर सकेगा। उन व्यक्तियों की जिनकी इस प्रकार परीक्षा की गई है, आयोग के विवेकानुसार ऐसे किसी पक्षकार द्वारा जिसको लोक सुनवाई की सूचना दी गई है, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

(10) इस विनियमन के अधीन आयोग द्वारा की जाने वाली किसी जांच में, केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए हकदार होगी कि उसका प्रतिनिधित्व ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाए जिसे वह प्रतिनियुक्त करे। संबंधित पक्षकारों को या तो स्वयं सुना जा सकेगा या उनका प्रतिनिधित्व उनकी ओर से कार्य करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी काउन्सेल द्वारा किया जा सकेगा।

अध्याय 6

अधिनियम की धारा 10 (ख) और 37 (4) के अधीन जांच

37. (1) जहां आयोग की यह राय हो कि एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार की जांच अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन स्वयं अपनी जानकारी या हलफिया पर की जाएगी, वहां धारा 31 के अधीन निर्देशों के लिए इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन विहित प्रक्रिया ऐसी जांच संचालन करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित अपनाई जा सकेगी।

(2) जहां अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के दौरान आयोग को ऐसा प्रतीत हो कि जिस उपक्रम के बारे में जांच की जा रही है वह एकाधिकारी उपक्रम है वहां, यदि वह ऐसे अन्वेषण/जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि (क) वह उपक्रम एक एकाधिकारी उपक्रम है, और (ख) वह उपक्रम एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहारों में लगा हुआ है तो, वह सम्बन्धित उपक्रम को नोटिस जारी कर सकेगा जिसमें अपने इस आशय की सूचना देगा कि वह मामले का अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के अधीन किन्हीं एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहारों के बारे में अपने निष्कर्षों सहित केन्द्रीय सरकार को पेश करे। इन उपबन्धों को कार्यान्वित करते

समय इन विनियमों के अध्याय 9 के अधीन विहित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित अपनाई जाएगी।

अध्याय 7

अधिनियम की धारा 24 के अधीन परामर्श और धारा 61 के अधीन रिपोर्ट

38. जहां केन्द्रीय सरकार आयोग से यह अपेक्षा करती है कि वह धारा 61 के अधीन रिपोर्ट दे या वह धारा 24 के अधीन उससे परामर्श करती है, वहां आयोग, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार विनिश्चित कर सकेगा। ऐसे मामलों में रिपोर्ट करने के लिए आयोग ऐसे विशेषज्ञ कार्मिक, जो वह आवश्यक समझे, नियोजित कर सकेगा।

अध्याय 8

न्यूनतम पुनः विक्रय पर की कीमत को बनाए रखना (छूट) आवेदन

39. वह रजिस्ट्रार या ऐसा कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति जो धारा 39 और 40 के प्रवर्तन से छूट के लिए धारा 41 के अधीन आयोग को निर्देशित करना चाहे, लिखित में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कथित करेगा :—

(क) आवेदक द्वारा दावाकृत हित की प्रकृति जिसके कारण निर्देश करने का वह हकदार हुआ है;

(ख) माल का वह वर्ग जिससे वह सम्बन्धित है जिसमें उप-वर्ग, यदि कोई हो, उपदर्शित किया जाए;

(ग) वह/वे व्यापार नाम, या व्यापार चिह्न जिसके/जिनके द्वारा माल बाजार में पहचाना जाता है;

(घ) उस वर्ग के माल में, जिसके लिए आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है, व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम और पते जहां तक कि आवेदक ऐसी जानकारी संग्रह कर सकता है;

(ङ) धारा 41 की उपधारा (1) का/के वह/वे खण्ड जिस/जिन पर किए गए आवेदन के लिए निर्भर किया गया है और उसके समर्थन में कारण।

40. आवेदन, उसमें वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाएगा और विनियम 57 में विहित रीति में सत्यापित किया जाएगा।

41. जहां एक ही प्रकार का वर्ग के ऐसे माल में, जिसके लिए अधिनियम की धारा 41 के अधीन छूट मांगी गई है, एक से अधिक व्यक्ति व्यवहार करते है वहां आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा

42. ऐसे कई वर्गों के माल के लिए, जो बहुत सम्बन्धित प्रतीत होते है एक सामान्य आवेदन किया जा सकेगा। किन्तु यदि सामान्य आवेदन पर विचार करने पर आयोग की यह राय हो कि अलग-अलग आवेदन आवश्यक या वांछनीय है तो वह आवेदकों को अलग-अलग आवेदन करने के लिए कह सकेगा।

43. जहां एक से अधिक वर्गों के माल की बाबत जो बहुत सम्बन्धित नहीं है छूट मांगी गई है, वहां प्रत्येक वर्ग के माल की बाबत अलग-अलग आवेदन किया जाएगा।

सूचना आदि का जारी किया जाना

44. (1) आवेदन की प्राप्ति पर, यदि सचिव की यह राय हो कि प्रथमदृष्टया आवेदन में कोई सार नहीं है तो वह उस आवेदन को प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष रख सकेगा, और ऐसी सुनवाई की तारीख की आवेदकों को इत्तिला दे सकेगा। आयोग आवेदकों की सुनवाई के पश्चात्, आवेदन को आरम्भ में ही नामंजूर कर सकेगा।

(2) सचिव, उन आवेदनों की बाबत जो आरम्भ में ही नामंजूर नहीं किए गए है, सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सूचना देगा तथा ऐसे दैनिक समाचारपत्र या समाचारपत्रों में जो आयोग द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिश्चित किए जाए, विज्ञापन द्वारा लोकसूचना भी देगा। उस सूचना में संक्षिप्त रूप से वे सुसंगत बातें जिनके अन्तर्गत उस वर्ग या उन वर्गों के माल भी है जिनकी बाबत आवेदन किया गया है तथा आवेदन करने वाले पक्षकारों के नाम और पते कथित किए जाएंगे।

(3) सचिव सूचना की एक प्रति आवेदन की विषय वस्तु के सम्बन्ध में व्यवहार करने वाले मंत्रालय या विभाग, यदि कोई हो, के सचिव को भी भेजेगा जिसमें उसका यह इत्तला देगा कि मंत्रालय या विभाग यदि ऐसा चाहे तो, आवेदन की विषय-वस्तु के बारे में अपनी टिप्पणियां आयोग को भेज सकता है।

45 निर्देश का विरोध या समर्थन करने वाले अभ्यावेदन, दैनिक समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर आयोग के समक्ष फाइल किए जाएंगे और उसमें अभ्यावेदन करने वाले पक्षकार के हित की प्रकृति तथा यह कथित किया जाएगा कि क्या वह ऐसे सभी माल या किसी माल की बाबत जिससे सूचना सम्बन्धित है, न्यूनतम पुन. विक्रय कीमत को बनाए रखने का समर्थन करता है या उसका विरोध करता है। ऐसे अभ्यावेदन विनियम 65 की अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे तथा विनियम 57 में विहित रीति में सत्यापित किए जाएंगे।

प्रारम्भिक सुनवाई

46. (1) ठीक पूर्ववर्ती विनियम के अधीन अभ्यावेदनों को फाइल करने के लिए नियत समय की परिसीमा के अवसान के पश्चात्, आयोग प्रारम्भिक सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा। वह आवेदक जिसने आयोग के समक्ष निर्देश फाइल किया था अपना मामला कथित करेगा और मोटे तौर पर यह उपदर्शित करेगा कि आयोग के समक्ष उसके प्रस्तुतवाद क्या क्या होंगे। इस सुनवाई के दौरान आवेदक को अभ्यावेदनों आदि की प्रतियों की जो सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई हो, तामील की जाएगी तथा वह, अपने को की गई उसकी तामील के चौदह दिन के भीतर अपना उत्तर फाइल करेगा।

(2) यदि प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान, आयोग को यह प्रतीत हो कि निर्देश में की गई प्रार्थना और मामले की परिस्थितियां सारतः उन्हीं के समरूप है जिन पर आयोग के समक्ष उन पूर्वगामी कार्यवाहियों में विचार किया गया है जिनका निपटारा किया जा चुका है तो, वह यह निदेश दे सकेगा कि निर्देश का संक्षेपतः निपटारा किया जाए।

(3) जहां आवेदक या कोई प्रत्यर्थी आयोग को किसी ऐसे आदेश के लिए आवेदन करता है कि आयोग के समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों का समेकन किया जाए और उनकी एक साथ सुनवाई की जाए, वहां दो कार्यवाहियों का, यदि आयोग ऐसा निदेश दे तो, समेकन किया जा सकेगा और उनकी एक साथ सुनवाई की जा सकेगी।

किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदनों के संबंध में अन्वेषण निदेशक, आदि द्वारा

अन्वेषण

47. (1) ठीक पूर्ववर्ती विनियम में वर्णित सुनवाई के पश्चात् और प्राप्त हुए अभ्यावेदनों, आदि पर विचार करने के पश्चात् यदि आयोग

ऐसा आवश्यक समझे तो वह मामले को अन्वेषण निदेशक या आयोग के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति मे जो वह निर्दिष्ट करे, अन्वेषण के लिए निर्देशित कर सकेगा और रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किए गए आवेदन की बाबत यदि आयोग यह विनिश्चय करे कि अन्वेषण रजिस्ट्रार द्वारा सचालित किया जाए तो रजिस्ट्रार को निर्देशित कर सकेगा।

(2) यथास्थिति अन्वेषण निदेशक, रजिस्ट्रार या आयोग का कोई अन्य अधिकारी अन्वेषण के लिए किए गए निदेश मे नब्बे दिन के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट देगा जिसमें उनके अन्वेषण के निष्कर्ष होगे।

निदेश

48 यथास्थिति, अन्वेषण निदेशक या रजिस्ट्रार या आयोग के किसी अन्य अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और इन विनियमों के विनियम 46 के अनुसार प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान इन कार्यवाहियों के पक्षकारो द्वारा किए गए प्रस्तुतवादो और प्राप्त हुए अभ्यावेदनो, आदि मे के प्रस्तुत वादो और आवेदक द्वारा फाइल किए गए उत्तरो पर विचार करने के पश्चात् आयोग --

(क) यह अवधारित करेगा कि जिन व्यक्तियो ने प्रेग-नाटिस के प्रत्युत्तर मे आयोग के समक्ष अभ्यावेदन फाइल किए है उनमे से किन व्यक्तियो को (यदि कोई हो) आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने या प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाए;

(ख) यह आदेश कर सकेगा कि उसके समक्ष अभ्यावेदन फाइल करने वाले सभी या किन्ही व्यक्तियो का ऐसे सामान्य प्रतिनिधी द्वारा जो वह निदेश दे, प्रतिनिधित्व किया जाएगा;

(ग) यह निदेश दे सकेगा कि निर्देश को, किसी माल का उसमे सम्मिलित करते हुए, या उसमे अपवर्जित करते हुए, या किसी अन्य रीति में, जो वह ठीक समझे, संशोधित किया जाए ;

(घ) निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे --

(i) सुनवाई की सूचना या किसी अभ्यावेदन, उत्तर या जवाब का संशोधन,

(ii) अतिरिक्त और बेहतर विशिष्टियो का परिदान;

(iii) परिप्रश्न का परिदान,

(iv) किन्ही तथ्यों या दस्तावेजो की स्वीकृति;

(v) किन्ही दस्तावेजो का प्रकटीकरण और अतिरिक्त प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण;

(vi) किन्ही दस्तावेजों की साक्ष्य में स्वीकृति ;

(vii) वह ढग जिसमें साक्ष्य दिया जाना है ,

(viii) किसी साक्ष्य का लिया जाना और अभिलिखित किया जाना जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए आयुक्त नियुक्ति भी है ;

(ix) किसी माल का उत्पादन करने या उसका प्रदाय करने मे अथवा माल के सबंध मे विनिर्माण की कोई प्रक्रिया लागू करने मे किसी वर्ग के माल की बाबत लागत का अन्वेषण तथा वह रीति जिसमे ऐसे अन्वेषण का परिणाम अन्तिम सुनवाई के समय आयोग के समक्ष लाया जाना है ,

और इन विषयो के संबंध में इन विनियमो मे अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

सुनवाई की सूचना की तामील

49. सचिव, सूचना की एक प्रति को, जिसमे सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख सूचित की जाएगी, तामील आवेदक (आवेदको) और विनियम 48 (क) और (ख) के अधीन दिए गए निर्देशो के आधार पर कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए हकदार व्यक्तियों पर, इस प्रकार नियत की गई तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले करेगा और विनियम 48 (क) और (ख) के अधीन कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए हकदार व्यक्तियों की दशा में ऐसी सूचना के साथ निर्देश की प्रति या प्रतियां होंगी ।

अन्तिम सुनवाई

50. इन निर्देशो के बारे में सुनवाई विनियम 81 के अनुसार की जाएगी ।

51. जहां निर्देश के संक्षेपत : अवधारण के लिए या समेकन के लिए विनियम 46 के अधीन कोई निर्देश किया गया हो, वहां आयोग सुनवाई के समय जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि निर्देश के सुसगत तथ्यो और परिस्थितियों तथा उन तथ्यो और परिस्थितियो में जिन पर पूर्वतर निर्देश में विचार किया गया है, किसी तात्विक रूप से अन्तर है --

(क) साक्ष्य की सुनवाई किए बिना या ऐसे साक्ष्य पर, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, जो वह ठीक समझे, आवेदन पर सक्षेपत : आदेश कर सकेगा ;

(ख) आदेश द्वारा, कोई ऐसे निर्देश दे सकेगा जो, यदि विवाद्यक, अन्तिम सुनवाई के पश्चात् मामूली तौर पर अवधारित किया गया होता तो अधिनियम की धारा 41 के अधीन आयोग द्वारा दिए गए होते या कोई ऐसा निदेश देते हुए कि जब तक कार्यवाहियों में के सभी अन्य विवाद्यकों का निपटारा न कर दिया जाए, ऐसे किसी आदेश का किया जाना आस्थगित कर सकेगा ।

52 आवेदको और उन व्यक्तियों की, जिन्होंने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन फाइल किए है और जिन्हे कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया गया है, सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसे साक्षियों की जिन्हें आयोग द्वारा बुलाया जाए, परीक्षा के पश्चात्, यह आवेदन/आवेदनों पर अन्तिम आदेश पारित करेगा । ऐसे आदेश की एक प्रति की जो सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होगी और जिस पर आयोग की मोहर होगी, आवेदक और कार्यवाहियों मे भाग लेने के लिए अनुज्ञात किए गए अन्य व्यक्तियो पर तामील की जाएगी ।

अध्याय 9

अधिनियम की धारा 37 के अधीन कार्यवाहियां

53. (1) अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (I) के अधीन परिवाद मे वे परिवादित तथ्य होगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गठित करते है ।

(2) किसी व्यापार या उपभोक्ता सगम द्वारा किए गए परिवाद पर, संगम के किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगे और 25 या उससे अधिक उपभोक्ताओ द्वारा किए गए परिवाद पर प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा विनियम 57 मे विहित रीति मे हस्ताक्षर किए जाएंगे।

54. इसी प्रकार धारा 10 के खड (क) के उपखंड (ii) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देश में वे तथ्य होंगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गठित करते है और वह विनियम 57 मे विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।

55 रजिस्ट्रार द्वारा 10 के खड (क) के उपखंड (iii) के अधीन किए गए आवेदन मे वे तथ्य होंगे जो अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

गठित करने है और, यदि वह उसके पास रजिस्ट्रीकृत किसी करार से संबंधित हो तो, उसमें करार के ऐसे भाग उपवर्णित होंगे जो किए गए परिवाद के तथ्यों को प्रकट करने के लिए आवश्यक है और वह विनियम 57 में विहित रीति में रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।

परिवाद, निर्देश, आदि की प्रतिया

56. पूर्ववर्ती विनियम 53 से 55 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, मूल परिवाद, निर्देश या आवेदन के साथ आयोग के अभिलेख के लिए उसकी चार प्रतिया और उसकी उतनी अतिरिक्त प्रतिया होगी जो, यथास्थिति, परिवाद, निर्देश या आवेदन में निर्दिष्ट प्रत्यर्थिया या अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए जाने के लिए आवश्यक हो ।

आयोग के समक्ष फाईल किए जाने वाले अभिवचनों आदि का हस्ताक्षरित किया जाना

57. इसमें अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, आयोग के समक्ष फाइल किए जाने वाले सभी परिवाद, निर्देश, आवेदन, मामले के कथन और अन्य अभिवचन, अनिगमित या अरजिस्ट्रीकृत संगमों की दशा में के सिवाय जिसमें वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विहित रीति में उसके प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे, अभिवचनों की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विहित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे ।

कार्यवाहियों का संक्षिप्त किया जाना

58. अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहिया उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों को जिसके या जिनके विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अभिकथन किए गए है, ऐसी सूचना द्वारा, जिसमें यह कथित किया गया हो कि आयोग अभिकथित व्यापारिक व्यवहारों की जाच करने की प्रास्थापना करता है, शुरू की जाएगी ।

59. सूचना एक करार या कई करारों से अथवा एक व्यापारिक या कई व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित हो सकती है और आयोग को इस प्रकार संबंधित प्रतीत हो सकती है जिससे यह वाछनीय हो जाता है कि उन पर उन्ही कार्यवाहियों में विचार किया जाना चाहिए ।

60. सूचना पर कमीशन की मुहर लगाई जाएगी और यह सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा जब तामील के पश्चात् वापस आए तब सचिव द्वारा फाइल की जाएगी ।

61. विनियम 64 के अधीन रहते हुए, आयोग सूचना कि प्रति की ऐसे पक्षकारों पर जो आयोग विनिश्चित करे, तामील करवाएगा और उन पक्षकारों में से ऐसे पक्षकार, जो आयोग निर्दिष्ट करे, कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी होंगे ।

62. यदि आयोग ठीक समझे तो वह सूचना की एक प्रति की तामील किसी ऐसे व्यापार संगम पर कर सकेगा जिसके सदस्य या जिसके सदस्यों में से कुछ किसी करार के पक्षकार है या जो ऐसे किसी व्यापारिक व्यवहार के दोषी अभिकथित किए गए है जिससे सूचना संबंधित है और व्यापार संगमों को, यदि आयोग ऐसा निदेश दे तो, संगम द्वारा संगम के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए, विनियम 64 के अधीन किसी आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी बनाया जा सकेगा ।

जाच की सूचना का प्रकाशन

63. आयोग द्वारा की जाने वाली जाच के बारे में संक्षिप्त विशिष्टिया सचिव द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति में तथा ऐसे दैनिक समाचारपत्रों में, जो आयोग किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी ।

सामान्य हित रखने वाले व्यक्ति

64. (1) जहां कार्यवाहियों में सामान्य हित रखने वाले कई व्यक्ति हों, वहा आयोग, व्यापारिक व्यवहार के बारे में निर्देश करने वाले परिवादी या व्यक्ति की दशा में और प्रत्यर्थियों या अन्य ऐसे पक्षकारों, जिन पर विनियम 58,60,61 या 62 के अधीन सूचना की तामील की गई है, की दशा में, यह आदेश कर सकेगा/करेगा कि कोई विशिष्ट पक्षकार सामान्य हित रखने वाले सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए कार्यवाहियों में हाजिर हो सकेगा । किन्तु आयोग, ऐसी दशा में, सामान्य हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को, या तो वैयक्तिक रूप से तामील करके या, जहा तामील किए जाने वाले व्यक्ति अधिक संख्या में हों या किसी अन्य कारण से, वैयक्तिक रूप से तामील युक्तियुक्तत : साध्य न हो, वहा लोक विज्ञापन द्वारा, जो आयोग, प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, कार्यवाहियों की सूचना देगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए कोई पक्षकार कार्यवाहियों में हाजिर होता है, कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा ।

(3) ऐसे मामलों में आयोग यह अवधारित करेगा कि किसी लोक विज्ञापन या वैयक्तिक रूप से की गई तामील के खर्चे कौन वहन करेगा ।

पक्षकारों की हाजिरी

65. ऐसा प्रत्येक प्रत्यर्थी जो यह चाहता है कि कार्यवाहियों में उसको सुना जाए, जाच की सूचना की प्रति की स्वयं को तामील होने के चौदह दिन के भीतर, आयोग के कार्यालय में हाजिर होगा और ज्ञापन की छह प्रतिया सचिव को परिदत्त करेगा जिसमें यह कथित करेगा कि प्रत्यर्थी यह चाहता है कि कार्यवाहियों में उसको सुना जाए तथा उसमें उसके अधिवक्ता का नाम होगा जिसका कार्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में हो और जिसको आदेशिकाओं की तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो और सचिव ज्ञापन की एक प्रति ऐसे मामलों में जहां कार्यवाहिया धारा 10 के खण्ड (क) के उपखंड (iii) के अधीन संस्थित की गई हो, रजिस्ट्रार को और अन्य सभी मामलों में अन्वेषण निदेशक को, भेजेगा ।

कार्यवाहियों के विस्तार और पक्षकारों का परिवर्तन

66. (1) जहां जाच की सूचना कई करारों या व्यापारिक व्यवहारों की बाबत हो, वहां कोई प्रत्यर्थी, सूचना के संबंध में हाजिर होने के चौदह दिन के भीतर, निम्नलिखित आधार पर सूचना से किसी करार या व्यापारिक व्यवहार को अपवर्जित करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा :—

(क) करार या व्यापारिक व्यवहार अन्य ऐसे करारों या व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित नहीं है जिनको सूचना लागू होती है और वह उसी कार्य या सव्यवहार या कार्यों या संव्यवहारों की आवलि से उद्भूत नहीं होता है, या

(ख) सूचना के अन्तर्गत आने वाले करारों या व्यापारिक व्यवहारों के किसी संयोजन से जाच में कोई उलझन या विलम्ब हो सकता है ।

(2) ऐसे आवेदन पर, आयोग किसी करार या किन्हीं करारों अथवा किसी व्यापारिक व्यवहार या व्यापारिक व्यवहारों की बाबत-अलग-अलग जाच का आदेश कर सकेगा या कोई ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो समीचीन हो और जिसके अन्तर्गत सभी ऐसे पारिणामिक निदेश भी है जिन्हें आयोग आवश्यक समझे और जिसके अन्तर्गत यह निदेश भी है कि ऐसे किसी प्रत्यर्थी के बारे में, जो प्रश्नगत करार का पक्षकार

है, या जिस पर प्रश्नगत व्यापारिक व्यवहार का आरोप लगाया गया है यह माना जाएगा कि वह हाजिर हुआ ही नहीं था।

सूचना का उत्तर

67. (1) ऐसा प्रत्येक प्रत्यर्थी जो हाजिर हुआ हो, अपने हाजिर होने के चार सप्ताह के भीतर, सचिव को सूचना का उत्तर (पांच प्रतियों में) देगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :—

(क) अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों में से प्रत्येक उपबंध की विशिष्टियां जिन पर वह निर्भर करना चाहता है; और

(ख) उसके द्वारा अभिकथित उन तथ्यों और बातों की विशिष्टियां जो ऐसे उपबंधों पर निर्भर करने के लिए उसे हकदार बनाती है।

(2) जहां प्रत्यर्थी अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य के रूप में किन्हीं दस्तावेजों (चाहे वे उसके कब्जे या शक्ति में हों या नहीं) पर निर्भर करता है, वहां वह उन दस्तावेजों को उस सूची में दर्ज करेगा जो उत्तर के साथ जोड़ी या उपाबद्ध की जानी है। जहां ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी के कब्जे या शक्ति में नहीं है वहां वह, यदि संभव हो तो, यह कथित करेगा कि वह किस के कब्जे या शक्ति में है।

(3) सचिव सूचना के उत्तर की एक प्रति, धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन शुरू किए गए मामलों में रजिस्ट्रार को और अन्य सभी मामलों में अन्वेषण निदेशक को, भेजेगा।

68. प्रकटीकरण से संबंधित विनियम 77 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक प्रत्यर्थी उस मामले में, जिसमें कार्यवाहियां धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन शुरू की गई है, रजिस्ट्रार से या अन्य मामलों में अन्वेषण निदेशक से उस निमित्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् सात दिन के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए पूर्वोक्त सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उनमें से ऐसी दस्तावेज, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हों, पेश करेगा और उसे उनकी नकल करने देगा।

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज के लिए विशेषाधिकार का दावा करने के प्रत्यर्थी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

69. जहां उत्तर दे दिया गया हो, वहां धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन शुरू किए गए मामलों में रजिस्ट्रार और अन्य मामलों में अन्वेषण निदेशक प्रत्युत्तर उसकी जांच पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित, प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर देने के लिए परिसीमित समय के अवसान के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर सचिव के पास फाइल करेगा। जहां एक से अधिक प्रत्यर्थी हों, वहां यथा स्थिति रजिस्ट्रार या अन्वेषण निदेशक प्रत्यर्थियों के प्रत्येक उत्तर या केवल कुछ उत्तरों के लिए, शेष उत्तरों के लिए संयुक्त प्रत्युत्तर सहित या उसके बिना, संयुक्त प्रत्युत्तर या अलग-अलग प्रत्युत्तर फाइल करेगा। प्रत्येक प्रत्युत्तर की एक प्रति उस प्रत्यर्थी या उन प्रत्यर्थियों को दी जाएगी जिसके या जिनके उत्तर के लिए वह प्रत्युत्तर है।

70. प्रत्युत्तर के पश्चात् कोई भी अभिवचन, ऐसे निबन्धनों पर जो आयोग ठीक समझे आयोग की इजाजत के बिना, पेश नहीं किया जाएगा, किन्तु आयोग किसी भी समय किसी पक्षकार से अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन की अपेक्षा कर सकेगा और उसके प्रस्तुत किए जाने के लिए समय नियत कर सकेगा।

71. आयोग किसी पक्षकार के आवेदन पर, सम्पूर्ण उत्तर, प्रत्युत्तर अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन को या उसके किसी भाग को जो आयोग को तुच्छ, तंग करने वाला या विसंगत प्रतीत हो, निकाल सकेगा और उस दशा में उत्तर, प्रत्युत्तर, अभिवचन या अनुपूरक या अनुपूरक अभिवचन के देने के लिए अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 6 के नियम 16 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानों वे इसमें सम्मिलित किए गए हैं।

जांच की सूचना और अभिवचनों का संशोधन

72 (1) आयोग किसी भी समय किन्हीं कार्यवाहियों, जिनके अन्तर्गत जांच की सूचना भी है, में की किसी त्रुटि या गलती का संशोधन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाहियों द्वारा उद्भूत या उन पर निर्भर वास्तविक प्रश्न या विवाद्यक को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

(2) आयोग किसी भी समय या कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार को जांच की सूचना के लिए अपने उत्तर, प्रत्युत्तर, अभिवचन या अनुपूरक अभिवचन में ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों पर, जो उचित हों, परिवर्तन या संशोधन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो संविवाद में के वास्तविक प्रश्नों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(3) जहां प्रत्यर्थी पर जांच की सूचना की तामील किए जाने से पहले संशोधन के लिए आवेदन किया गया हो और जहां आयोग की राय में आवेदित संशोधन तात्विक हैं, वहां आयोग संशोधन अनुज्ञात करने से पहले प्रत्यर्थियों को आवेदन की सूचना दे सकेगा, और वहां जहां प्रत्यर्थियों की अनुपस्थिति में आयोग कोई संशोधन ऐसे रूप में मंजूर करता है जो तात्विक रूप से उससे भिन्न है जिसकी सूचना प्रत्यर्थियों को दी गई है, वहां संशोधन की प्रति की तामील प्रत्यर्थी पर की जाएगी।

(4) संशोधन ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जो आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए और संशोधन की प्रति कार्यवाहियों के अन्य सभी पक्षकारों को दी जाएगी तथा उसकी पांच प्रतियां आयोग के सचिव के पास फाइल की जाएंगी।

पक्षकारों का संयोजन और समेकन

73 (1) कार्यवाहियों का कोई पक्षकार किसी भी समय इस आदेश के लिए कि ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से पक्षकार नहीं है, कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाए, आवेदन (आवेदन की चार अतिरिक्त प्रतियों के साथ) आयोग को कर सकेगा और आवेदन की सूचना सभी पक्षकारों और ऐसे सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों को दी जाएगी।

(2) आयोग कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, या तो स्वप्रेरणा से या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे निबन्धनों पर जो आयोग को न्यायसंगत या सामयिक प्रतीत हों, यह आदेश कर सकेगा कि अनुचित तौर पर संयोजित किए गए किसी पक्षकार का नाम निकाल दिया जाए और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किया जाए जिसको संयोजित किया जाना चाहिए या जिसकी आयोग के समक्ष उपस्थिति, कार्यवाहियों में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों को प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्यायनिर्णीत करने और उन्हें तय करने में आयोग को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) जहां किसी पक्षकार को सम्मिलित किया गया हो या किसी पक्षकार का नाम निकाल दिया गया हो, वहां अभिवचन, जब तक आयोग अन्यथा निदेश न दे, ऐसी रीति में, जो आवश्यक हो, संशोधित किए जाएंगे।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 1 के उपाबद्ध इन कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(5) ऐसा कोई परिवादी, आवेदक, हलफनामा देने वाला या सरकारी प्राधिकारी जो धारा 10 के खंड (क) के अधीन निर्देश करता है, यदि वह कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं है तो, पक्षकार समझा जाएगा और कार्यवाहियों में सुने जाने के लिए हकदार होगा। सचिव, विनियम 53, 54, 55, 65, 67, 69 और 72 के अधीन अपने पास फाइल किए गए दस्तावेजों की एक प्रति उसको दे सकेगा और आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो उनकी एक प्रति आयोग को देगा।

निदेशों के लिए आवेदन

74. (1) उन मामलों में जहां कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर प्रारम्भ की गई हों, रजिस्ट्रार, उन मामलों में जहां कार्यवाहियां धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन प्रारम्भ की गई हों, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या अन्वेषण निदेशक और अन्य सभी मामलों में अन्वेषण निदेशक उस समय से, जब अभिवचन समाप्त किए गए हों या समाप्त किए गए समझे गए हों, सात दिन के भीतर अन्तिम सुनवाई के लिए तैयारियों के बारे में निदेशों के लिए आयोग को आवेदन करेगा और आयोग आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा। आयोग निदेशों के लिए आवेदन की सुनवाई को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा।

(2) निदेशों के लिए आवेदन की सूचना की तामील, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या अन्वेषण निदेशक द्वारा कार्यवाहियों के ऐसे सभी पक्षकारों पर, जो हाजिर हुए हों, उस तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले की जाएगी, जिसको निदेशों के लिए आवेदन की सुनवाई की जानी है।

(3) आवेदन की सुनवाई के पश्चात् आयोग ऐसे निदेश देगा जो वह आवश्यक समझे और पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे :—

(क) सुनवाई की सूचना या किसी अभ्यावेदन, उत्तर या जवाब का संशोधन;

(ख) अतिरिक्त और बेहतर विशिष्टियों का दिया जाना;

(ग) परिप्रश्नों का दिया जाना;

(घ) किन्हीं तथ्यों या दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना;

(ङ) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण या अतिरिक्त प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण;

(च) किन्हीं दस्तावेजों के साक्ष्य में ग्रहण किया जाना;

(छ) वह ढंग जिसमें साक्ष्य दिया जाना है;

(ज) किसी साक्ष्य का लिया जाना और उसका अभिलिखित किया जाना, जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए आयुक्त कि नियुक्ति भी है;

(झ) किसी माल के उत्पादन या प्रदाय करने में अथवा माल के विनिर्माण की किसी प्रक्रिया के लागू करने में किसी वर्ग के माल की वाजिब लागत का अन्वेषण और वह रीति जिसमें ऐसे अन्वेषण का परिणाम अन्तिम सुनवाई के समय आयोग के समक्ष लाया जाना है;

और इन विषयों के बारे में इन विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(4) आयोग आवेदन की अन्तिम सुनवाई के लिए या किन्हीं प्रश्नों को प्रारम्भिक प्रश्नों के रूप में अवधारित करने के लिए और किन्हीं अन्य विषयों के लिए जिन्हें आयोग समीचीन समझे, तारीख नियत कर सकेगा।

(5) अभिवचनों को तब समाप्त हुआ समझा जाएगा जब उत्तर फाइल करने का समय समाप्त हो गया हो और यदि उत्तर फाइल किया गया हो तो जब प्रत्युत्तर फाइल किया गया हो या उसके फाइल करने का समय समाप्त हो गया है।

(6) यदि, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्वेषण निदेशक, इस विनियम के उप-विनियम (1) के अनुसार निदेशों के लिए कोई आवेदन नहीं करता है तो प्रत्यर्थी ऐसा कर सकेगा या जांच का पर्यवसान करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(7) इस विनियम के उप-विनियम (3) के अधीन जांच का पर्यवसान करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन पर, आयोग या तो जांच का ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायसंगत हों, पर्यवसान कर सकेगा या आवेदन के संबंध में ऐसे कार्रवाई कर सकेगा, मानों वह निदेशों के लिए आवेदन हो।

75. (1) वह पक्षकार जिस पर निदेशों के लिए आवेदन की सूचना की तामील की गई है यावत्साध्य, आवेदन की सुनवाई के समय किसी ऐसे आदेश या किन्हीं निदेशों के लिए जिनकी वह कार्यवाहियों में किसी अस्तवर्ती आवेदन के संबंध में कार्रवाई किए जाने योग्य किसी विषय के बारे में वांछा करे, आवेदन करेगा और आवेदन की सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले अन्य पक्षकारों पर ऐसी लिखित सूचना की तामील करेगा जिसमें उन आदेशों और निदेशों को, जहां तक कि वे आवेदक द्वारा मांगे गए आदेशों और निदेशों से भिन्न हों, विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि निदेशों के लिए आवेदन की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है और कार्यवाहियों का कोई पक्षकार पुनरारम्भ की गई सुनवाई के समय किसी ऐसे आदेश या निदेश के लिए जिसकी इस विनियम के उप-विनियम (1) में किसी आवेदक द्वारा मांग नहीं की गई है या कोई सूचना नहीं दी गई है, आवेदन करना है तो वह आवेदन की पुनरारम्भ की गई सुनवाई से कम से कम चार दिन पहले अन्य पक्षकारों पर ऐसी लिखित सूचना की तामील करेगा जिसमें उन आदेशों और निदेशों को, जहां तक कि वे आवेदन में या यथा पूर्वोक्त किसी ऐसी सूचना में मांगे गए आदेशों या निदेशों से भिन्न हों, विनिर्दिष्ट करेगा।

76. पक्षकार द्वारा किसी विषय के बारे में किन्हीं निदेशों के लिए मूल आवेदन के पश्चात् कोई आवेदन, अन्य पक्षकार को पूर्ण चार दिन की सूचना दे कर, किया जाएगा और उसमें आवेदन के आधारों को कथित किया जाएगा। यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसा आवेदन मूल आवेदन के किए जाने के समय ही उचित रूप से किया जा सकता था, तो वह निदेश दे सकेगा कि आवेदन करने वाला पक्षकार ऐसे आवेदन का खर्च दे।

सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू किया जाना

77. अधिनियम की धारा 12की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 और 26 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित वहां तक के सिवाय ऐसे लागू होंगे मानों वे इसमें निर्देश द्वारा अभिव्यक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं जहां तक वे इन विनियमों के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत हैं।

अन्तर्वर्ती आवेदन

78. उसके सिवाय जहां ये विनियम अन्यथा उपबन्ध करें या आयोग अन्यथा निदेश दे, प्रत्येक अन्तर्वर्ती आवेदन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या आवेदन की विषय-वस्तु से संबंधित प्रत्येक प्रत्यर्थी को कम से कम सात दिन की सूचना दे कर किया जायेगा और सूचना में मांगे गये निदेशों या आदेश की विशिष्टियां होंगी।

79. (1) आयोग किसी भी समय यह आदेश कर सकेगा कि किसी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों को शपथ-पत्र द्वारा साबित किया जाये या किसी साक्षी के शपथ पत्र को सुनवाई के समय ऐसी शर्तों पर पढ़ा जाये जिन्हें आयोग युक्तियुक्त समझे.

परन्तु जहां आयोग को ऐसा प्रतीत हो कि कोई पक्षकार प्रतिपरीक्षा के लिये साक्षी का पेश किया जाना सद्भाव पूर्वक चाहता है और ऐसा साक्षी पेश किया जा सकता है, वहां आयोग यह आदेश कर सकेगा कि ऐसे साक्षी का शपथ-पत्र सुनवाई के समय तब तक न पढ़ा जाये जब तक साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिये पेश न कर दिया जाये ।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, सुनवाई के समय साबित किये जाने के लिये अपेक्षित सभी तथ्य जब तक कि वे स्वीकार न कर लिये जायें, साक्षियों की मौखिक परीक्षा द्वारा या दस्तावेजों की अथवा पुस्तकों की प्रविष्टियों या ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों या पुस्तकों की प्रविष्टियों को पेश करके साबित किये जायेंगे।

80 कार्यवाहियों से सुसंगत वैज्ञानिक, तकनीकी या सांख्यिकीय जानकारी की दशा में वह जानकारी आयोग की अनुज्ञा से, विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक तकनीकी, आर्थिक या व्यापार प्रकाशनों या ऐसी निर्देश कृतियों द्वारा जिनमें ऐसी जानकारी हो, साबित की जा सकेगी।

अन्तिम सुनवाई

81. अन्तिम सुनवाई खुले न्यायालय में की जायेगी:

परन्तु यदि आयोग का यह समाधान हो जाये कि यह लोक हित में है कि सुनवाई या उसका कोई भाग खुले न्यायालय में नहीं किया जाना चाहिये या विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया के बारे में या किसी खनिज या अन्य निक्षेपों की उपस्थिति, अनुपस्थिति या स्थिति के बारे में अथवा किसी वैसे ही विषय के बारे में जिसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति के विधि सम्मत कारबार के हितों को पर्याप्त रूप से नुकसान होने की संभावना है साक्ष्य दिया जा सकता है तो वह यह आदेश करेगा और किसी अन्य ऐसे मामले में जिसमें आयोग को ऐसा करना उचित प्रतीत हो यह आदेश कर सकेगा कि सुनवाई या उसका कोई भाग जैसा आयोग निदेश दे बन्द कमरे में किया जाये।

82. यदि आवेदन की सुनवाई पर आयोग को ऐसा प्रतीत हो कि करार में सुसंगत उपबन्ध अथवा करार या व्यापारिक व्यवहार या व्यवहारों के संबंधित कोई अन्य तथ्य या परिस्थितियां सारतः उसी के समरूप हैं जिन पर आयोग के समक्ष पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में विचार किया गया है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि विवाद्यक को संक्षेपतः अवधारण के लिये विनिर्दिष्ट किया जाये।

83. जहां विनियम 82 के अधीन कोई निदेश दिया गया हो वहां आयोग सुनवाई के समय जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि करार या व्यापारिक व्यवहार/व्यवहारों के सुसंगत उपबन्ध या मामले की परिस्थितियां उस करार या व्यापारिक व्यवहार/व्यवहारों के उपबन्धों और परिस्थितियों से जिन पर पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में विचार किया गया था तात्विक रूप से भिन्न है;

(क) साक्ष्य की सुनवाई किये बिना या ऐसे साक्ष्य पर चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, जो आयोग ठीक समझे विवाद्यक को संक्षेपतः अवधारित कर सकेगा; और

(ख) आदेश द्वारा कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो आयोग ने अधिनियम की धारा 37 के अधीन उस दशा में दिया होता जिसमें विवाद्यक अन्तिम सुनवाई के पश्चात् मामूली तौर से अवधारित किया गया होता या कोई ऐसा निदेश देते हुये कि जब तक कार्यवाहियों में के अन्य सभी विवाद्यकों का निपटान नहीं कर दिया जाये किसी ऐसे आदेश का किया जाना आस्थगित कर सकेगा।

84. यथास्थिति परिवादी या आवेदक या निर्देश करने वाले किसी सरकारी प्राधिकारी या अन्वेषण निदेशक के और ऐसे प्रत्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों के जिन्होंने आयोग के समक्ष अभ्यावेदन फाईल किये हैं और जिन्हें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनुज्ञा दी गई है सुने जाने के पश्चात् और ऐसे साक्षियों की जो आयोग द्वारा आहूत किये जाये परीक्षा किये जाने के पश्चात् वह परिवाद आवेदन निर्देश आदि के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश पारित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति की, जो सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित की गई हो और जिस पर आयोग की मुहर लगी हुई हो परिवादी आवेदक निर्देश आदि करने वाले सरकारी प्राधिकारी और अन्य ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनुज्ञा दी गई है तामील की जायेगी।

अध्याय 10

आदेश आदि का संशोधन या प्रति संहरण

85. किन्हीं कार्यवाहियों में आयोग द्वारा किये गये किसी आदेश के संशोधन या प्रतिसंहरण के लिये अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन का सुसंगत परिस्थितियों या किसी अन्य तथ्य या परिस्थितियों में जिन पर आवेदक निर्भर करता है तात्विक तबदीली के शपथ-पत्र पर साक्ष्य दे कर समर्थन किया जायेगा। जब तक आयोग अन्यथा निदेश न दे आवेदन की सूचना की और उसके समर्थन में के शपथ-पत्रों की प्रतियों की तामील ऐसे प्रत्येक पक्षकार पर की जायेगी जो पूर्ववर्ती कार्यवाहियों की सुनवाई के समय हाजिर हुआ था और ऐसा पक्षकार आवेदन पर सुने जाने के लिये हकदार होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 14 और आदेश 47 के उपबन्ध यथाशक्य इन कार्यवाहियों को लागू होंगे।

86 आयोग की किसी कार्यवाही के संशोधन, घोषणा या आदेश में की किन्हीं लेखन या गणित सम्बन्धी भूलों की या उसमें किसी आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत होने वाली गलती की शुद्धि आयोग द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय की जा सकेगी और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 152 और 153 के उपबन्ध इस सम्बन्ध में लागू होंगे।

अध्याय 11

निरसन और व्यावृत्ति

87. (1) निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथा (जांच) विनियम 1970 और एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथा आयोग विनियम 1971 निरसित किये जाते हैं।

(2) निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथा (जांच) विनियम 1970 और एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथा आयोग विनियम 1971 का निरसन ऐसे निरसित विनियमों के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी भी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा अथवा उक्त विनियमों के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा अथवा ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के बारे में किसी अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और सभी अन्वेषण और विधिक कार्यवाहियां वैसे ही चालू रखी जा सकेंगी या प्रवर्तित की जा सकेंगी मानों विद्यमान विनियम बनाये नहीं गये थे।

(3) किन्हीं अन्य विनियमों या किसी लिखित में निरसित विनियमों के उपबन्धों के प्रति निर्देश का जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो वर्तमान विनियमों के प्रति निर्देशों के रूप में अर्थ लगाया जायेगा।

[सं० 8(14)-एम० आर टी०पी०सी०/74

टी० एन० पाण्डे, सचिव

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION REGULATIONS, 1974

New Delhi, the 29th June, 1974

G.S.R. 728.—In exercise of the powers conferred on it by sections 18 and 66 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) and all other powers enabling it in this behalf, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission hereby makes the following Regulations, namely:—

CHAPTER I

GENERAL

Short title, commencement and interpretation.—1. (1) These Regulations may be cited as "The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1974" and shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) They extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

2. The General Clauses Act, 1897, (10 of 1897) as amended to-date shall apply to the interpretation of these Regulations, and the words and expressions used but not defined in the Act, in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) as amended to-date, and in these Regulations shall have the meanings assigned to them in that Act.

Definitions

3. In these Regulations, unless the context other-wise requires:—

(a) The "Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).

(b) "Applicant" means the Register, and, in case of applications under section 41 of the Act, includes 'any other person interested'.

(c) "Any other person interested" referred to in section 41 of the Act includes manufacturers, suppliers, wholesalers, retailers and the associations of the trade, consumers and employees in the distributive trade having a membership of not less than 25 persons.

(d) "Bench" means a bench of the Commission formed under sub-section (2) of section 16 of the Act.

(e) "Commission" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission constituted under section 5 of the Act.

(f) "Director of Investigation" means the Director of Investigation appointed under section 8 of the Act.

(g) "Registrar" means the Registrar of Restrictive Trade Agreements appointed under section 34 of the Act.

(h) "A party to an agreement" includes any person deemed to be a party for the purposes of the Act.

(i) Reference to "Court" while applying the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall be understood to refer to the Commission and similarly reference to "plaintiff" or "defendent" shall be understood to refer to appropriate parties before the Commission.

(j) Reference to "suits or petitions" while applying the provsions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall be understood to refer to appropriate proceedings under the Act.

(k) "Secretary" means a Secretary appointed by the Commission and shall include a Deputy Secretary and an Administrative Officer.

Language of the Commission

4. The proceedings of the Commission shall be conducted in English.

5. No application, reference, document or other matter contained in any language other than English shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a translation thereof in English.

6. All documents required to be translated into English shall be translated by a person appointed or approved by the Commission:

Provided that any translation which is agreed to by the parties to the proceedings may be accepted by the Commission in appropriate cases as a true translation.

Commission's Office

7. The Central Office of the Commission shall be open at such times as the Chairman may direct.

8. Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

9. The Commission may, if sufficent cause is shown, at any stage of any proceedings grant time to the parties or to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the proceedings.

10. Where on the day fixed for hearing or on any other day to which the hearing may be adjourned, any of the parties do not appear, the proceedings, unless adjourned by the Commission, shall continue in the absence of the party not so appearing.

Pleadings before the Commission

11. All applications, replies, rejoinders, supplemental pleadings, papers, etc. required to be filed before the Commission shall be typed on one side of the fool-scap size paper in double space.

Inspection and Certified copies of the documents, papers etc.

12. (1) A party to any proceeding before the Commission may, subject to the provisions of sections 17, 18 and 60 of the Act, on an application made by him in that behalf addressed to the Secretary, be allowed to inspect or get copies of pleadings and other documents or records in the case, on payment of the prescribed fees and charges.

(2) The Commission may, subject to the provisions of sections 17, 18 and 60 of the Act, on the application of a person who is not a party to the proceedings, on good cause shown, allow such person such inspection or to obtain such copies as are mentioned in the last proceeding sub-regulation, on payment of the prescribed fees and charges.

(3) An inspection shall be allowed only in the presence of an officer of the Commission, and copies of documents, etc. shall not be allowed to be taken, but notes of the inspection may be made.

(4) Copies required under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) of this Regulation, may be certified as true copies by the Secretary, Deputy Secretary, Administrative Officer or such other officer as may be authorised in that behalf by the Commission.

(5) Copying charges shall be worked out at the rate of Re. 1 for a folio of 200 words or a part thereof of material not involving typing of statements and figures, and at the rate of Re. 1 per folio of 100 words/figures or part thereof involving typing of statements/figures. Fees for inspection shall be worked out at the rate of Rs. 10 per hour of inspection.

Reports of the Commission

13. Every report of the Commission shall be signed and dated by the Members constituting the Commission or the Bench, as the case may be. Any Member of the Commission who dissents from the majority view, may record his reasons separately. Every report to the Central Government shall be sent to the Government under the signature of the Secretary.

Extension or abridgement to time prescribed

14. The time prescribed by these Regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged by order of the Commission or, except where the Commission otherwise directs, by agreement in writing of the parties.

Effect of non-compliance and application of Code of Civil Procedure to matters not Provided.

15. Failure to comply with any requirement of these Regulations shall not invalidate any proceedings unless the Commission so directs and, in respect of any matter for which no provision has been made in these Regulations, the provisions contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall *mutatis mutandis* apply to the proceedings before the Commission in so far as such provisions are not inconsistent with any of the provisions expressly made in the Act or in these Regulations.

Service of notice or other documents

16. (1) Every notice or other document required to be served on or delivered to any person may be sent by registered post addressed to the party or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the party or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and every notice or other document required to be delivered to or filed with the Secretary may be sent by registered post to the Secretary at the office of the Commission. An acknowledgement purporting to be signed by the party or the agent or an endorsement by a postal employee that the party or the agent refused to take delivery may be deemed by the Commission to be *prima facie* proof of service and section 27 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply.

(2) Any notice or other document required to be served on or delivered to a trade association may, if the association is not a body corporate, be sent to the Secretary, Manager, or other similar officer of the association.

(3) Every notice or other documents required to be served on the Central Government or the State Government, as the case may be, shall be addressed and sent to the Secretary of the appropriate Ministry or Department and shall be served in the manner specified in sub-regulation (1) of this Regulation.

Costs

17. (1) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the costs of and incidental to all proceedings shall be in the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes The fact that the Commission has no jurisdiction to entertain any proceedings shall be no bar to the exercise of the power toward costs in respect of the proceedings actually before it.

(2) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as the order of a Civil Court and the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply to the execution of such order.

Power to remove difficulties

18. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

CHAPTER II

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR OF INVESTIGATION

Preliminary investigation and report by the Director of Investigation

19. (1) On receipt of a complaint under sub-clause (i) of clause (a) of section 10 of the Act, the Commission shall direct the Director of Investigation to enquire into the complaint and submit a report.

(2) The Commission may order a preliminary investigation by the Director of Investigation.

(a) when a reference is received under sub-clause (ii) of clause (a) of section 10 or under clause (b) of section 10;

(b) when the Registrar has an application under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10; and

(c) when the Commission decides to enquire into and restrictive trade practices under sub-clause (iv) of clause (a) of section 10 of the Act or any monopolistic trade practices under clause (b) of section 10 of the Act upon its own knowledge or information.

20. The Commission shall direct the Director of Investigation to complete the preliminary investigation and submit a report (5 copies) within such time as it may fix:

Provided that on a request made by the Director of Investigation the time so fixed may be extended by the Commission from time to time.

Reports of the Director of Investigation to be confidential

21 (1) The reports of the Director of Investigation and any other material or evidence collected by him shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any party except as herein otherwise provided.

(2) The reports of the Director of Investigation and any evidence or other material collected by the Director of Investigation or any part of such report, evidence or material may, at the discretion of the Commission, at any stage of an enquiry, be brought on record for the purposes of the enquiry, and the Commission shall communicate the parts of the report, evidence or material brought on record to the parties concerned and give the man opportunity to rebut the material so brought on record.

(3) The Director of Investigation shall be entitled to reply where his report or evidence or material collected by him or any part thereof brought on record is sought to be rebutted by any party.

Action on the report of the Director of Investigation

22. (1) Where the Commission, on a perusal of the Director of Investigation's report submitted under Regulation 20, is of the opinion that there is no prima facie case for holding an enquiry, the Commission may by order drop the proceedings. The Commission shall, in such a case, hear the Complaint or the authority making the reference or application before taking such decision.

(2) Where the Commission, on a perusal of the Director of Investigation's report submitted under Regulation 20 is

of the view that a further investigation is necessary, it may direct the Director of Investigation to make such further investigation as the Commission may think necessary and submit a further report.

23. Where the Commission, after considering the report of the Director of Investigation submitted under Regulation 20, or sub-regulation (2) of Regulation 22, or both, as the case may be, is of the opinion that an enquiry shall be held into a restrictive trade practice, it shall so order and such enquiry shall be held in accordance with the procedure prescribed in Chapter IX of these Regulations.

24. Where the Commission, after considering the report of the Director of Investigation submitted under Regulation 20, or sub-regulation (2) of Regulation 2, or both, as the case may be, is of the opinion that an enquiry shall be held into a monopolistic trade practice under clause (b) of section 10 upon its own knowledge or information, the procedure as prescribed in Regulation 36 shall be followed *mutatis mutandis*.

General duties of the Director of Investigation

25. (1) The Director of Investigation shall be entitled to appear in all enquiries under Chapters IV and VI of the Act other than those instituted under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10, and also in proceedings instituted under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 if he or any officer of the Commission has carried out a preliminary investigation or study or investigation in such matters :

Provided that the right of the Director of Investigation to appear in enquiries under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 shall relate to only such matters as arise out of the preliminary investigation or study or investigation made by him or any other officer of the Commission.

(2) Where the Director of Investigation is entitled to appear, he may appear personally or be represented by such other officers as he may nominate and/or be represented by a counsel duly authorised in this behalf.

26. The Director of Investigation may authorise any officer subordinate to him to conduct on his behalf any investigation entrusted to him by the Commission.

CHAPTER III

DUTIES AND FUNCTIONS OF THE REGISTRAR OF RESTRICTIVE TRADE AGREEMENTS

27. (1) The Registrar shall maintain a register of restrictive trade agreements in the form and manner prescribed by the Central Government, and enter in the Register the details of all agreements which require registration under section 33 of the Act as and when they are received.

(2) The Registrar shall maintain a special section of the Register under sub-section (2) of section 36 of the Act and enter therein the following particulars :

(a) Date of the agreement,

(b) Subject matter and terms of the agreement,

(c) Name and address of the contracting parties, and

(d) Particulars directed by the Commission to be entered in the special section under sub-section (2) of section 36 or sub-section (3) of section 36 of the Act.

(3) The Registrar shall maintain an alphabetical index of the names of all the parties to all the agreements other than those reserved to be entered in the special section of the Register. Separate folders shall be maintained in respect of each such party and the folders shall be serially numbered. Documents and other agreements filed under the Act shall be kept in separate folder as aforesaid according to the name of the first contracting party. A folder shall also be maintained for the other contracting parties and a corresponding entry shall simultaneously be made in the folders relating to the other parties concerned under such agreement indicating the folder which contains the documents.

28. The Registrar shall also maintain an alphabetical index of the agreements according to the goods or services covered by them according to the National Industrial Classification.

29. Where the Registrar is of the opinion, on the basis of information available to him from the Registrar of Agreements, that restrictive trade practices prevail in respect of any goods or services, it shall be his duty to make an application to the Commission under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 of the Act.

Application under section 36(3) of the Act

30. Where a party presents an application under sub-section (3) of section 36 of the Act, the Registrar shall submit the application with 3 additional copies thereof and obtain the orders of the Commission except in a case where he disposes of it in conformity with any general directions issued by the Commission.

31. Where an application is received by the Registrar under sub-section (3) of section 36 of the Act and he is of the opinion that it can be disposed of in conformity with any general directions issued by the Commission, he shall give the applicant such opportunity to represent his case as he may deem necessary for the disposal of the application.

32. The applications filed before the Registrar under sub-section (3) of section 36 of the Act shall be accompanied by five additional copies thereof.

33. Where the Registrar seeks any special directions of the Commission for disposing of any application under sub-section (3) of section 36, he shall make an application to that effect and such an application shall contain information, and be accompanied by the documents and papers, as mentioned below:

(a) the directions sought to be obtained;

(b) copy of the application of the party concerned (in quadruplicate);

(c) copy of the agreement (in quadruplicate); and

(d) Registrar's comments on the application.

34. Where the Registrar submits under sub-section (3) of section 36 to the Commission the application of a party for being disposed of by special directions of the Commission, the Commission shall, if it considers necessary, give the applicant an opportunity to represent his case before the Commission in such manner as the Commission may direct. The Registrar shall be heard in such proceedings and for this purpose intimation about the date of hearing shall be sent to him also.

CHAPTER IV

ENQUIRIES AND INVESTIGATIONS BY OFFICERS OF THE COMMISSION

35. (1) Without prejudice to the provisions of Regulations 19, 20, 21 and 22, the Commission may at any time direct the director of Investigation or any one or more of its officers to study and investigate, and report or furnish information on any trade practices as may constitute or contribute to monopolistic or restrictive trade practices existing in any trade or are alleged to have been practiced by any producer, distributor or dealer or a group of producers, distibutors or dealers, or in respect of any application or reference under Chapters III, IV and VI or section 61 of the Act, and for this purpose, the Commission may give to the Director of Investigation or such officer of officers of the Commission any directions as it may deem fit and may fix time within which the report is to be submitted for information furnished. If any such report or information appears to the commission to be insufficient or inadequate, the Commission may give directions for a further or supplementary report or information.

(2) The reports, of, or the information furnished by, the Director of Investigation or such officer or officers of the Commission, and other material or evidence gathered by him or them, shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any party except as hereinafter otherwise provided.

(3) The reports of, or the information furnished by, the Director of Investigation or such officer or officers of the Commission, and any evidence or other material collected by him or them or any part of such report, information, evidence or material may, at the discretion of the Commission, at any stage of any enquiry, be brought on record for the purposes of enquiry.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR REFERENCE UNDER CHAPTERS III AND IV BY THE GOVERNMENT

Reference under Sections 21, 22, 23, 27 and 31 of the Act

36. (1) Where a reference is received by the Commission from the Central Government under Sections 21, 22, 23, 27 and 31 of the Act, the Commission may publish short particulars concerning the references by way of a notification in such daily newspapers and periodicals as it may consider appropriate inviting comments regarding the proposal within such time as may be mentioned in the notification. The comments shall be sent in quadruplicate and the person sending the comments shall state whether he would like to participate in the public hearing concerning the notified proposal before the Commission.

(2) In case of references under section 27 of the Act, the Commission shall, after such investigation as it deems fit, formulate its tentative opinion. It shall thereafter furnish to the undertaking(s) concerned a copy of the reference and its tentative opinion. The undertaking (s) concerned may, within such time as the Commission may fix in each case, file a statement of its objections and/or suggestions to or in respect of the tentative opinion.

(3) In case of references under section 31, the Commission shall furnish to the undertakings concerned the substance of the reference and permit such undertaking(s) to submit its/their written statements with regard to the subject matter of the reference, if any, in quadruplicate within 14 days of the receipt of the notice.

(4) The Commission may address letters to the applicant, concerned Government Departments and such other parties calling for such particulars and information as in the opinion of the Commission may be relevant to the reference received by the Commission. The replies to such letters to the Commission shall be furnished in quadruplicate.

(5) The Commission may call the applicant, concerned undertaking(s), any Government official and any other person for such discussions as it may consider necessary for the enquiry.

(6) The Commission may visit such establishment including that of the applicant or concerned undertaking(s) and hold discussions with their representatives if in the opinion of the Commission such visit and discussions may be useful for the enquiry.

(7) The Commission may depute such of its officers and staff to such places and to meet such persons as it may deem appropriate, for enquiries and discussions relevant to the references and take into consideration the reports of such officers.

(8) The applicant, the concerned undertaking, the persons who have sent their comments and expressed their desire that they would like to participate in the public hearing, and such other persons as the Commission may determine shall be intimated about the date of public hearing not later than 21 days before the date fixed for hearing. The persons who have sent their comments and an intimation that they would like to participate in the public hearing shall file with the Commission not less than 10 days before the date of public hearing a statement containing the submissions that they wish to make at the public hearing.

(9) Subject to the provisions of sections 17 and 18 of the Act, the Commission shall hear the persons to whom an intimation of the public hearing is sent under the sub-regulation immediately preceding. The Commission may, if it considers necessary, examine witnesses including experts in any field. The persons so examined may, at the discretion of the Commission, be allowed to be cross-examined by any of the parties to whom an intimation of public hearing is sent.

10. In an enquiry to be made by the Commission under this Regulation, the Central Government shall be entitled to be represented by such officer as it may depute. The parties concerned may be either heard by themselves or be represented by a counsel specifically authorised by them to act on their behalf.

CHAPTER VI

ENQUIRIES UNDER SECTIONS 10(b) AND 37(4) OF THE ACT

37. (1) Where the Commission is of the opinion that an enquiry shall be held into a monopolistic trade practice upon its own knowledge or information under clause (b) of section 10 of the Act, the procedure prescribed under Chapter V of these Regulations for references under section 31 shall be followed *mutatis mutandis* in conducting such an enquiry.

(2) Where it appears to the Commission during the course of an enquiry under sub-section (1) of section 37 of the Act that the undertaking under enquiry is a monopolistic undertaking it may issue a notice to the concerned undertaking intimating its intention to submit the case to the Central Government along with its finding with regard to any monopolistic trade practices under sub-section (4) of section 37 of the Act in case, after such investigation/enquiry as it may deem fit, it finds (a) that the undertaking is a monopolistic undertaking, and (b) that the undertaking is indulging in monopolistic trade practices. In carrying out these provisions, the procedure prescribed under Chapter IX of these Regulations shall be followed mutatis mutandis.

CHAPTER VII

CONSULTATION UNDER SECTION 24 AND REFERENCES UNDER SECTION 61 OF THE ACT

38 Where the Central Government requires the Commission to make a report under section 61 or consults it under section 24, the Commission may decide the procedure to be followed according to the circumstances of each case. For the purpose of making a report in such cases, the Commission may employ such expert personnel as it may consider necessary.

CHAPTER VIII

MINIMUM RESALE PRICE MAINTENANCE (EXEMPTION) APPLICATIONS

39. The Registrar or any other person interested who wishes to make a reference to the Commission under section 41 for exemption from the operation of sections 39 and 40 shall make an application in writing, clearly stating:—

(a) the nature of interest claimed by the applicant entitling him to make the reference;

(b) the class of goods to which it relates indicating the sub-classes, if any;

(c) the trade name or names, or trade mark or marks by which the goods are identified in the market;

(d) the names and addresses of other persons dealing in the class of goods for which application is being made before the Commission as far as the applicant can collect such information; and

(e) the clause(s) of sub-section (1) of section 41 on which reliance is placed for the application made and the reasons in support of the same.

40. The application shall be supported by evidence regarding facts mentioned therein and shall be verified in the manner prescribed in Regulation 57.

41. Where more than one person deals with similar class of goods for which exemption under section 41 of the Act is sought, the application may be made jointly by such persons.

42. A common application may be made for a number of classes of goods which appear to be closely related. However, the Commission may ask the applicants to make separate applications if, on a consideration of the common appli-

cation, it is of the opinion that separate applications are necessary or desirable.

43. Where exemption is sought in respect of more than one class of goods not closely related, a separate application shall be made in respect of each class of goods.

Issue of notice, etc.

44. (1) On receipt of the application, if the Secretary is of the opinion that prima facie there is no substance in the application, he may place the same before the Commission for preliminary hearing and inform the applicants of the date of such hearing. The Commission may, after hearing the applicants, reject the application in limine.

(2) The Secretary shall, in respect of applications which are not rejected in limine, give notice to all concerned parties and shall also give public notice by advertisement in such daily newspaper or newspapers as may be decided by the Commission by a general or special order. The notice shall briefly state the relevant matters including the class or classes of goods in respect of which the application is made and the names and addresses of the parties making the application.

(3) The Secretary shall also send a copy of the notice to the Secretary of the Ministry or Department, if any, dealing with the subject matter of the application informing him that the Ministry or Department may, if it so desires, send its comments to the Commission regarding the subject matter of the application.

45. Representations opposing or supporting the reference shall be filed before the Commission within 30 days of the publication of the notice in the daily newspapers, and shall state the nature of the interest of the party making the representation and whether he supports or opposes the maintenance of minimum resale price in respect of all or any of the goods to which the notice relates. Such representations shall comply with the other requirements of Regulation 65 and shall be verified in the manner prescribed in Regulation 57.

Preliminary hearing

46. (1) After the expiry of the time limit for filing the representations under the last foregoing Regulation, the Commission shall fix a date for the Preliminary hearing. The applicant who had filed the reference before the Commission shall state his case and indicate broadly what would be his submissions before the Commison. During the course of this hearing, the applicant shall be served with the copies of the representations, etc. received in response to the notice and shall file his reply within 14 days of the service of the same on him.

(2) If during the course of the preliminary hearing, it appears to the Commission that the prayer made in the reference and the circumstances of the case are substantially similar to those considered in previous proceedings before the Commission which have been disposed of, it may direct that the reference be disposed of summarily.

(3) Where the applicant or any respondent applies to the Commission for an order that any proceedings pending before the Commission be consolidated and heard together, the two proceedings may, if the Commission so directs, be consolidated and heard together.

Investigation by Director of Investigation, etc. regarding applications filed by any other person interested.

47. (1) After the hearing mentioned in the last foregoing Regulation and after taking into account the representations, etc., received, the Commission may, if it thinks it necessary, refer the matter to the Director of Investigation or any other officer of the Commission for investigation in such manner as it may direct and, in respect of application filed by the Registrar, to the Registrar if the Commission decides to have the investigation conducted by the Registrar.

(2) The Director of Investigation, the Registrar, or any other officer of the Commission, as the case may be, shall make a report containing the findings of their investigation to the Commission within 90 days of the direction for investigation.

Directions

48. After receipt of the report of the Director of Investigation or the Registrar or any other officer of the Commission, as the case may be, and after taking into account the submissions made by the parties to these proceedings during the course of the preliminary hearing and those contained in the representations, etc received and the replies filed by the applicant as per Regulation 46 of the these Regulations, the Commission :—

(a) shall determine which (if any) of the persons who have filed representations before the Commission in response to the press notice may be permitted to take part or be represented in the proceedings before the Commission ;

(b) may order that some or all of the persons filing representations before it shall be represented by such common representative as it may direct ;

(c) may direct that reference be amended by including therein or excluding therefrom, any goods or in any other manner as it may deem fit ;

(d) may give such other directions as it may think fit including :—

(i) the amendment of the notice of hearing or any representation, answer or reply ;

(ii) the delivery of further and better particulars ;

(iii) the delivery of interrogatories ;

(iv) the admission of any facts or documents ;

(v) the discovery or further discovery of any documents and inspection thereof ;

(vi) the admission in evidence of any documents ;

(vii) the mode in which evidence is to be given ;

(viii) the taking and recording of any evidence including the appointment of a Commissioner for that purpose ;

(ix) an investigation of the cost in respect of any class of goods, in producing or supplying any goods or in applying any process of manufacture to goods, and the manner in which the result of such investigation is to be brought before the Commission at the final hearing ;

and the procedure laid down in these Regulations with regard to these matters shall be followed.

Service of notice of hearing

49. The Secretary serve a copy of the notice intimating the date fixed for hearing not less than 21 days from the date so fixed, on the applicant(s) and the persons entitled to take part in the proceedings by virtue of directions given under Regulation 48(a) and (b), and such a notice shall, in the case of persons entitled to take part in the proceedings under Regulation 48(a) and (b), be accompanied with a copy or copies of the reference.

Final hearing

50. The hearing regarding these references shall be held in accordance with Regulation 81.

51. Where a direction has been given under Regulation 46 for determination of the reference in a summary way or for consolidation, the Commission may at the hearing, unless it is satisfied that the relevant facts and circumstances of the reference differ in some material respect from the facts and circumstances considered in the earlier reference :

(a) make an order on the application in a summary way without hearing evidence, or on such evidence whether oral or documentary, as it may think fit ; and

(b) by order give any directions which the Commission could have given under section 41 of the Act, if the issue had been determined after a final hearing

in the ordinary way, or defer the making of any such order giving any direction until all other issues in the proceedings have been disposed of.

52. After hearing the applicants and the persons who have filed representations before the Commission and who have been permitted to take part in the proceedings, and after examination of such witnesses as may be called upon by the Commission, it shall pass final orders on the application/applications. A copy of such order duly authenticated by the Secretary and bearing the seal of the Commission shall be served on the applicant and other persons permitted to take part in the proceedings.

CHAPTER IX

PROCEEDINGS UNDER SECTION 37 OF THE ACT

53. (1) A complaint under sub-clause (i) of clause (a) of everyone of the complaints in the matter prescribed in which constitute a restrictive trade practice.

(2) A complaint by any trade or consumers association shall be signed by any office bearer of the association and a complaint from 25 or more consumers shall be signed by everyone of the complainants in the manner prescribed in Regulation 57.

54. A reference made by the Central Government or a State Government under sub-clause (ii) of clause (a) of section 10 shall similarly contain the facts which constitute a restrictive trade practice and shall be signed and verified in the manner prescribed in regulation 57.

55. An application under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 by the Registrar shall contain the facts which constitute a restrictive trade practice and, if it is in relation to any agreement registered with him, shall set out such portions of the agreement as may be necessary to bring out the facts complained of and shall be signed and verified by the Registrar in the manner prescribed in Regulation 57.

COPIES OF COMPLAINT, REFERENCE, Etc.

56. The original complaint, reference or the application, as the case may be, referred to in the foregoing Regulations 53 to 55 shall be accompanied by four copies thereof for the Commission's record and such additional number of copies thereof as may be necessary for being served on respondents or other interested parties referred to in the respective complaint, reference or application.

SIGNING OF THE PLEADINGS, Etc. TO BE FILED BEFORE THE COMMISSION

57. Save as otherwise provided herein, all complaints, references, applications, statements of the case and other pleadings to be filed before the Commission shall be signed and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of pleadings except that in case of unincorporated or unregistered associations, they shall be signed by the Principal Officer thereof and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

INSTITUTION OF PROCEEDINGS

58. Proceedings under sub-section (1) of section 37 of the Act shall be initiated by a notice to the person or persons against whom allegations of restrictive trade practices are made stating that the Commission proposes to hold an inquiry into the alleged trade practices.

59. A notice may relate to one agreement or to a number of agreements or one trade practice or to a number of trade practices appearing to the Commission to be related in such a way as to make it desirable that they should be considered in the same proceedings.

60. A notice shall bear the Commission's seal and be signed by the Secretary and when returned after service shall be filed by the Secretary.

61. Subject to Regulation 64, the Commission shall cause a copy of the notice to be served on such parties as the Commission may decide and such out of those parties as the Commission may direct shall be respondents to the proceedings.

62. The Commission may, if it thinks fit, serve a copy of the notice on any trade association whose members or any of whose members are parties to any agreement or are alleged to be guilty of a trade practice to which the notice relates, and the trade associations may, if the Commission so directs, be made respondents to the proceedings without prejudice to any application under Regulation 64 for the representation of members of the association by the association.

PUBLICATION OF THE NOTICE OF ENQUIRY

63. Short particulars regarding the inquiry by the Commission shall be published at such time and in such manner and in such daily newspapers by the Secretary as the Commission may, by any general or special order, direct.

PERSONS HAVING COMMON INTEREST

64. (1) Where there are a number of persons having common interest in the proceedings, the Commission may, in case of a complainant or a person making reference about the trade practice, and shall, in case of respondents or other parties who are served a notice under Regulations 58, 60, 61 or 62, order that any particular party may appear in the proceedings on behalf of or for the benefit of all persons having common interest. But the Commission shall, in such a case, give notice of the proceedings to all such persons having common interest either by personal service or, where the persons to be served are in large number, or for any other cause such personal service is not reasonably practicable, by public advertisement, as the Commission may in each case direct.

(2) Any person on whose behalf or for whose benefit any party appears in the proceedings may apply to the Commission to be made a party to the proceedings.

(3) The Commission shall in such cases determine who shall bear the costs of any of the public advertisement or the personal service.

APPEARANCE OF PARTIES

65. Every respondent who wishes to be heard in the proceedings shall, within 14 days of the service upon him of the copy of the notice of enquiry, enter an appearance in the office of the Commission by delivering to the Secretary six copies of a memorandum stating that the respondent wishes to be heard in the proceedings and containing the name of his advocate having an office in Delhi or New Delhi and duly authorised to accept service of processes and the Secretary shall send one copy of the memorandum to the Registrar in cases where proceedings are initiated under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10, and in all other cases to the Director of Investigation.

ALTERATION OF SCOPE OF PROCEEDINGS AND PARTIES

66. (1) Where a notice of enquiry is in respect of a number of agreements or trade practices, any respondent may within 14 days of entering an appearance to the notice apply to the Commission to exclude from the notice, any agreement or trade practice on the ground :—

(a) that the agreement or trade practice is not related to the other agreements or trade practices to which the notice applies and does not arise out of the same act or transaction or series of acts or transactions, or

(b) that any joinder of the agreements or trade practices covered by the notice may embarass or delay the enquiry.

(2) On such application the Commission may order separate enquiries in respect of any agreement or agreements or trade practice or trade practices or make such other order as may be expedient including all such consequential directions as the Commission considers necessary including direction that any respondent who is a party to the agree-

ment in question or is charged with the trade practice in question be treated as if he had not entered appearance.

Reply to the notice

67. (1) Every respondent who has entered an appearance shall within four weeks of his entering appearance deliver to the Secretary a reply to the notice (5 copies) which shall include :—

(a) particulars of each of the provisions of section 38 of the Act on which he intends to rely; and

(b) particulars of the facts and matters alleged by him to entitle him to rely on such provisions.

(2) Where the respondent relies on any documents (whether in his possession or power or not) as evidence in support of his Reply he shall enter such documents in a list to be added or annexed to the Reply. Where any such document is not in the possession or power of the respondent he shall, if possible, state in whose possession or power it is.

(3) The Secretary shall furnish a copy of the Reply to the notice to the Registrar in cases initiated under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10, and in all other cases to the Director of Investigation.

68. Without prejudice to the provisions of Regulation 77 relating to discovery, every respondent shall, within 7 days after receiving notice in that behalf from the Registrar in case the proceedings are initiated under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10, or the Director of Investigation in other cases, produce for his inspection the documents specified in the list aforesaid or such of them as may be specified in the notice and shall permit him to make copies thereof :

Provided that nothing herein contained shall affect the right of a respondent to claim privilege for any of the said documents.

69. Where a Reply is delivered, the Registrar in cases initiated under sub-clause (iii) of clause (a) or section 10, and the Director of Investigation in other cases shall file with the Secretary a Rejoinder with five additional copies thereof within six weeks after the time limited for the delivery of a Reply by every respondent has expired. Where there is more than one respondent, the Registrar or the Director of Investigation, as the case may be, may file a joint Rejoinder or separate Rejoinders to each or some only of the Replies of the Respondents with or without a joint Rejoinder to the remainder. A copy of every Rejoinder shall be delivered to the respondent or respondents to whose Reply it is a Rejoinder.

70. No pleading subsequent to the Rejoinder shall be presented except by the leave of the Commission upon such terms as the Commission may think fit; but the Commission may at any time require a pleading or a supplemental pleading from any of the parties and fix a time for presenting the same.

71. The Commission may, on the application of any party, strike out the whole or any part of a Reply, Rejoinder, Pleading or Supplemental Pleading which appears to the Commission to be frivolous, vexatious or irrelevant and may in that event allow further time for the delivery of a Reply, Rejoinder, Pleading or Supplemental Pleading and the provisions of Rule 16 of Order VI of the Code of Civil Procedure 1908, (5 of 1908) shall be applicable as if they are included herein.

Amendment of notice of enquiry and Pleadings

72. (1) The Commission may at any time amend any defect or error in any proceeding including notice of enquiry and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or dependent on such proceedings.

(2) The Commission may at any time or stage of the proceedings allow any party to alter or amend his Reply to the notice of enquiry, Rejoinder, Pleading or Supplemental Pleading in such manner and on such terms as may be just and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy.

(3) Where an application for amendment is made before a notice of enquiry is served on the respondent and where in the opinion of the Commission the amendment applied for is a material one, the Commission may give notice of application to the respondents before allowing the amendment; and where in the absence of the respondents the Commission grants any amendment in a form materially different from that of which notice has been given to the respondents, a copy of the amendment shall be served on the respondent.

(4) The amendment shall be carried out within such time as may be allowed by the Commission and a copy of the amendment shall be furnished to all other parties to the proceedings and 5 copies of the same shall be filed with the Secretary of the Commission.

Joinder of parties and consolidation

73. (1) Any party to the proceedings may at any time apply to the Commission (with 4 additional copies of the application) for an order that any person not already a party be added as a party to the proceedings and shall give notice of the application to all other parties and to the persons sought to be added.

(2) The Commission may at any stage of the proceedings either of its own motion or on the application of any party to the proceedings, on such terms as may appear to the Commission just and equitable, order that the name of any party improperly joined be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined or whose presence before the Commission may be necessary in order to enable the Commission effectively and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the proceedings, be added.

(3) Where any party is added or the name of any party is struck out, the pleadings shall, unless the Commission otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary.

(4) The provisions of Order I of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply mutatis mutandis to these proceedings.

(5) Any complainant, applicant, informant or Government authority who makes reference under clause (a) of section 10 shall, if he or it is not a party to the proceedings, be deemed to be a party and shall be entitled to be heard in the proceedings. The Secretary may, and if so directed by the Commission shall, furnish to him or it a copy of the documents filed with him under Regulations 53, 54, 55, 65, 67, 69 and 72.

Application for directions

74. (1) The Registrar in cases where proceedings are commenced on his application under sub-clause (iii) of clause (a) of section 10 of the Act, the State or the Central Government or the Director of Investigation, as the case may be, in cases where the proceedings are commenced on the application of the Central Government or a State Government under sub-clause (ii) of clause (a) of section 10 and the Director of Investigation in all other cases, shall, within 7 days from the time when the pleadings are closed or deemed to be closed, make an application to the Commission for directions with regard to the preparations for the final hearing and the Commission shall fix a date for the hearing of the application. The Commission may adjourn the hearing of the application for directions from time to time.

(2) The notice of application for directions shall be served by the Registrar, the State Government, the Central Government or the Director of Investigation, as the case may be, upon all parties to the proceedings who have entered appearance not less than 15 days before the application for directions is due to be heard.

(3) On the hearing of the application, the Commission shall give such directions as it considers necessary and with-

out prejudice to the generality of the foregoing may give such directions as it may think fit as to :—

(a) the amendment of the notice of hearing or any representation, answer or reply;

(b) the delivery of further and better particulars;

(c) the delivery of interrogatories;

(d) the admission of any facts or documents;

(e) the discovery or further discovery of any documents and inspection thereof;

(f) the admission in evidence of any documents;

(g) the mode in which evidence is to be given;

(h) the taking and recording of any evidence including the appointment of a Commissioner for that purpose;

(i) an investigation of the cost in respect of any class of foods, in producing or supplying any goods or in applying any process of manufacture to goods, and the manner in which the result of such investigation is to be brought before the Commission at the final hearing;

and the procedure laid down in these regulations with regard to these matters shall be followed.

(4) The Commission may fix a date for the final hearing of the applications or for determining any points as preliminary points and for such other matters as the Commission may think expdient.

(5) The pleadings shall be deemed to be closed when the time for filing the Reply has expired, and if the Reply has been filed when the Rejoinder is filed or the time for its filing has expired.

(6) If the Registrar or the Central Government or the State Government or the Director of Investigation, as the case may be, does not make an application for directions in accordance with sub-regulation (1) of this Regulation, the respondent may do so or apply for an order to terminate the inquiry.

(7) Upon an application by a respondent to terminate the inquiry under sub-regulation (3) of this Regulation the Commission may either terminate the inquiry on such terms as may be just or deal with the application as if it were an application for directions.

75. (1) Any party on whom the notice of application for directions is served shall, so far as practicable, apply at the hearing of the application for an order or directions which he may desire as to any matter capable of being dealt with on an interlocutory application in the proceedings and shall, not less than 7 days before the hearing of the application, serve on the other parties a notice in writing specifying those orders and directions in so far as they differ from the orders and directions asked for by the applicant.

(2) If the hearing of the application for directions is adjourned and any party to the proceedings desires to apply at the resumed hearing for any order or direction not asked for by the applicant or any notice given in sub-regulation (1) of this Regulation, he shall, not less than 4 days before the resumed hearing of the application serve on the other parties a notice in writing specifying those orders and directions in so far as they differ from the orders and directions asked for in the application or in any such notice as aforesaid.

76. Any application subsequent to the original applications for any directions as to any matter by any party shall be made on four clear days' notice to the other party stating the grounds of the application. If the Commission is of the opinion that such application could properly have been made at the time of the original application itself, it may direct that the party applying shall pay the costs of such application.

Application of the Code of the Civil Procedure

77. Subject to the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Act, the provisions of Orders XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX and XXVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall *mutatis mutandis* apply as if they are herein expressly included by reference except in so far as they are inconsistent with the express provisions of these Regulations.

Interlocutory applications

78 Except where these Regulations otherwise provide or the Commission otherwise directs, every interlocutory application shall be made on not less than seven days' notice to the Registrar or, as the case may be, to every respondent concerned in the subject-matter of the application, and the notice shall include particulars of the directions or order sought.

79. (1) The Commission may at any time order that any particular fact or facts may be proved by affidavit or the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the Commission may think reasonable:

Provided that where it appears to the Commission that either party bonafide desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced, the Commission may order that the affidavit of such witness may not be read at the hearing unless the witness is produced for cross examination.

(2) Except as provided by such-regulation (1) of this Regulation, all facts required to be proved at the hearing shall, unless they are admitted, be proved by oral examination of witnesses or production of documents or entries in books or copies of such documents or entries in books.

80. In case of scientific, technical or statistical information relevant to the proceedings, the same by the permission of the Commission, be proved by the production of specified scientific, technical, economic or trade publication or works of reference containing such information.

Final hearing

81. The final hearing shall take place in open Court :

Provided that if the Commission is satisfied that it is in the public interest that the hearing or part thereof should not take place in open Court or that evidence may be given as to a secret process of manufacture or as to the presence, absence or situation of any mineral or other deposits or as to any similar matter the publication of which is likely to damage substantially the legitimate business interests of any person, it shall, and may in any other case in which it appears proper to the Commission to do so, order that the hearing or such part thereof as the Commission may direct, shall take place in camera.

82. If on the hearing of the application it appears to the Commission that the relevant provisions of the agreement or any other fact or circumstances relating to the agreement or to a trade practice or practices are substantially similar to those considered in previous proceedings before the Commission, it may direct that the issue be referred for determination in a summary way.

83. Where a direction has been given under Regulation 82 the Commission may at the hearing, unless it is satisfied that the relevant provisions of the agreement or trade practice/practices or the circumstances of the case differ in some material respect from the provisions of the agreement or trade practice/practices and circumstances considered in the previous proceedings,

(a) determine the issue in a summary way without hearing evidence, or on such evidence whether oral or documentary, as it may think fit; and

(b) by order given any direction which the Commission could have given under section 37 of the Act, if the issue had been determined after a final hearing in the ordinary way, defer making of any such order giving any direction until all other issues in the proceedings have been disposed of.

84. After hearing the complainant or the applicant or any Government authority making a reference or the Director of Investigation, as the case may be, and the respondents and other persons who have filed reprsentations before the Commission and who have been permitted to take part in the proceedings, and after examination of such witnesses as may be called upon by the Commission, it shall pass final orders on the complaint, application, reference etc. A copy of such order duly authenticated by the Secretary and bearing the seal of the Commission shall be served on the complainant, applicant, Government authority making the reference etc. and other persons permitted to take part in the proceedings.

CHAPTER X

AMENDMENT OR REVOCATION OF ORDER, ETC.

85. An application under sub-section (2) of section 13 of the Act for amendment or revocation of any order made by Commission in any proceedings shall be supported by evidence on affidavit of the material change in the relevant circumstances or any other fact or circumstances on which the applicant relies. Unless the Commission otherwise directs, notice of the application together with copies of the affidavits in support thereof shall be served on every party who appeared at the hearing of the previous proceedings and every such party shall be entitled to be heard on the application and the provisions of section 114 and order XLVII of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall, as far as may, be applied to these proceedings.

86. Any clerical or arithmetical mistakes in any proceeding, amendment of proceedings, declaration or order of the Commission or error therein arising from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Commission either on its own motion or on the application of any party and the provisions of sections 152 and 153 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall be applicable in this respect.

CHAPTER XI

REPEALS AND SAVINGS

87. (1) The Restrictive Trade Practices (Enquiry) Regulations 1970 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1971 are hereby repealed.

(2) The repeal of the Restrictive Trade Practices (Enquiry) Regulations, 1970 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Regulations, 1971 shall not affect the previous operation of the Regulations so repealed or anything duly done or suffered thereunder, or affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Regulations, or affect any investigation, legal proceding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability and all investigations and legal proceedings shall be continued or enforced as if the present Regulations had not been made.

(3) Reference in any other Regulations or in any instrument to the provisions of the repealed Regulations shall, unless a different intention appears, be construed as references to the present Regulations.

[No. 8 (14)-MRTPC/74]
T. N. PANDEY, Secy.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

सा० का० नि० 729.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में प्रमुख (पहाड़ी क्षेत्र) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम योजना आयोग प्रमुख (पहाड़ी क्षेत्र) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबन्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4 **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

योजना आयोग में प्रमुख (पहाड़ी क्षेत्र) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रमुख (पहाड़ी क्षेत्र)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित)	1600-100-2000 रु०	लागू नहीं होना	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	लागू नहीं होना	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा**— समय-समय पर यथासंशोधित गृह मंत्रालय के संकल्प सं० फ०-34(3)-ई०आ०/57, तारीख 17 अक्तूबर, 1957 के अधीन अधिसूचित भारत सरकार के उप सचिव के रैंक के और उसके ऊपर के ज्येष्ठ प्रशासनिक पदों को भरने से सम्बन्धित स्कीम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। ऐसे अधिकारी को या तो विज्ञान या उद्यान कृषि या कृषि कार्यक्रमों के अनुसंधान या विस्तार या प्रबंध के संबंध में भार-साधक अधिकारी के रूप में या जिला या खंड या क्षेत्रीय स्तर पर विकास क्रियाकलापों के संबंध में भारसाधक महाप्रणासक के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।	--	लागू नहीं होना	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम, 1958 के अधीन तथा अपेक्षित

[फा० No.A 12018/18/73-ए डी एम 1]

एम० वी० आर० प्रसाद, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 18th June, 1974

G.S R.729.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby here makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief (Hill Areas) in the Planning Commission, namely:—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be cited the Planning Commission Chief (Hill Areas) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay :**—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment age, limit and qualifications etc:**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of Schedule aforesaid.

4. **Disqualification:**—No person:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

The Schedule

Recruitment Rules for the post of Chief (Hill Areas), Planning Commission

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Chief (Hill Areas)	1	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 1600-100-2000	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	**By transfer on deputation :** The appointment shall be made in accordance with the provisions of the scheme for Staffing Senior Administrative posts of and above the rank of Deputy Secretary to the Government of India notified under the Ministry of Home Affairs Resolution No. F.34 (3) EO/57, dated the 17th October, 1957, as amended from time to time. The Officer should have adequate experience of work at the field level either as an officer incharge of research or extension or management of forestry or horticulture or agriculture programmes or as a general administrator incharge of development acitivities at the District or the Divisional or regional level.	Not applicanle	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[File No. A.12018/18/73-Adm.I]

M. V. R. Prasad, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

सा०का०नि० 730—केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) का गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर, एतद्द्वारा विस्तार करती है।

[सं०यू-11015/7/74-यू०टी०एल०(126)]

एम० आर० सचदेवा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th June, 1974

G.S.R. 730.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956) to the Union territory of Goa, Daman and Diu.

[No. U-11015/7/74-UTL(126)]

M. R. SACHDEVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

सा०का०नि०731.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, और :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (लेखापाल) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद का वर्गीकरण, वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा आदि :** पद का वर्गीकरण, उसका वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

3. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लेखापाल	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय।	270-15-435-रु० रो०-20-575 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संगठित लेखा विभागों जैसे भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग में से किसी की अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नही होगी) ।	लागू नही होता	लागू नही होता

[सं० 1/9/सी० आई०एस० एफ०/आर० ई० जी०/72 (कार्मिक 1)]

पी० के० जी० काइमल, अवर सचिव

New Delhi , the 28th June, 1974

G.S.R.731—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating recruitment to the post of Accountant in the Central Industrial Security Force, namely:—

1. **Short tilte and commencement:**—(1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Accountant) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Classification of the post, scale of pay, method of recruitment, age limit etc.**

The classification of the post, the scale of pay attached thereto, the method of recruitment, age limit and other matters connected therewith shall be as specified in columns 4 to 14 of the Scheduled hereto annexed.

3. **Disqualifications**:—No person—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted, a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to relex**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Accountant	2	General Central Service Class III Non-gazetted Ministerial.	Rs. 270-15-435-EB-20-575	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/Deputation/transfer, grade from which promotion/deputation transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	**Transfer on deputation :** Persons who have passed Subordinate Accounts Service or equivalent Examination of any of the Organised Accounts Departments, such as the Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable

[No. 1/9/CIST/Reg/72(PERS-I)]
P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जून, 1974

सा०का०नि० 732.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के परिसूचन ब्यूरो में प्रचालक (मुद्रणालय) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसूचन ब्यूरो प्रचालक (मुद्रणालय) भर्ती नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** —पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान ये होंगे जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा :** —भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है

4 **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रचालक (मुद्रणालय)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय	110-3-131-4-135 रु०	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । (ii) आफसेट मुद्रण मशीन चलाने का दो वर्ष का अनुभव ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	मन्त्रालयों या विभागों से ऐसे गेस्टेटनर आपरेटर वर्ग 3 का स्थानान्तरण जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् कम से कम एक वर्ष सेवा की हो । ऐसे (क) दफ्तरी चयन श्रेणी (ख) रिकार्ड सार्टर (ग) कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर की प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो और जो गेस्टेटनर मशीनों के प्रचालन और संरक्षण में प्रवीण हों ।	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा	लागू नहीं होना

[सं० 5/एम० ओ० (सी०)/73 (3) कार्मिक-1]

पी० के० जी० काइमल, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 1974

G.S.R. 732.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of **Operator (Printing Press)** in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs namely:—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the Intelligence Bureau [Operator(Printing Press)] Recruitment, rules, 1974.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number, classification and scale of Pay :**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :**—The method or recruitment, age limit, qualification and other matter connected therewith shall be as specified in clumns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications :**—No Person :—

(a) Who has entered into, or contracted, a marraige with a Person having a spouse living, or

(b) who having spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation for this rule.

5. **Power to relax:**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the privsions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this behalf.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Operator (Printing Press).	one	General Central Service Class III Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 110-3-131-4-139	Non--Selection	Between 18-25 years	(i) Matriculation of a recognised Univesity or equivalent. (ii) Two years experience in handling on offset Printing Machine.

whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years.	By transfer, failing which by promotion, failing which by direct recruitment.	Transfer of Gestetner Operator class III from Ministries or Departments with at least one years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Promotion** of (a) Daftry Selection Grade (b) Record Sorter (c) Junior Gestetner Operator with 6 years service in the grade and have proficiency in operating and maintaining Gestetner mahines.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[No. 5/50 (C)/73 (3)--Pers. I]
P.K.G. KAIMAL Under Sec.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा० का० नि०. 733—आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आयुध नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयुध (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध नियम, 1962 में, जहां कहीं "मद्रास" शब्द आया है, उसके स्थान पर "तमिलनाडु" शब्द रखा जाएगा।

[सं०फा० 15/3/74-जी०पी०ए०-2]
सी० चक्रवर्ती, उप सचिव

New Delhi, the 1st July, 1974

G.S.R. 733.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 1962, for the word "Madras", wherever it occurs, the words "Tamil Nadu", shall be substituted.

[No. F. 15/3/74-GPA.II]
C. CHAKRABARTY, Dy. Secy.

41 GI/74—5

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1974

विदेश यात्रा कर

सा० का० नि०. 734—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश यात्रा कर अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश यात्रा कर नियम, 1971 के नियम 8 में शब्द "प्रत्येक वर्ष" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक वित्तीय वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[11-एफ०टी०टी०/74 (एफ०सं० 310/16/74-एफ०टी०टी०)]
जे० रामकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 6th July, 1974

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 734.—In exercise of the powers conferred by sectoin 49 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Foreign Travel Tax Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Travel Tax (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Travel Tax Rules, 1971, in rule 8. for the words "each year", the words "each financial year" shall be substituted.

[No. 11-FTT/74 (F. No. 310/16/74-FTT)]

J. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 25 जून, 1974

सा० का० नि० 735—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (छठा संशोधन) नियम, 1974 है।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में, नियम 3 से संलग्न सारणी में, मद (1) के सामने की प्रविष्टियों में, खण्ड (ग) और उस खण्ड के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और प्रविष्टियां रखी जाएंगी। अर्थात् :—

"(ग) किसी अवयस्क की ओर से कोई संरक्षक	25,000	प्रत्येक अवयस्क की ओर से एक	अवयस्क की अवयस्कता के दौरान संरक्षक और तत्पश्चात्, पूर्व-अवयस्क द्वारा, परन्तु यह तब जब कि यदि अवयस्क ने उसी डाकघर में अपने नाम में खाता खोल रखा है, वहां वह व्यस्कता प्राप्त करने पर दो खातों में से एक को बंद कर देगा। वह यह भी घोषित करेगा कि उसके सभी खातों में उसके द्वारा धारित अधिकतम अतिशेष विहित सीमा से अधिक नहीं है।"

[सं०फा० 7(17) एन०एस०/73)]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi the 25th June, 1974.

G.S.R. 735—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Saving Bank Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Post Office Savings Bank (Sixth Amendment) Rules, 1974.

2. In the Post Office Saving Bank Rules, 1965, in the Table attached to rule 3, in the entries against item (1), for clause (c) and the entries against that clause, the following clause and entries shall be substituted, namely:—

"(c) A guardian on behalf of a minor	25,000	One on behalf of each minor	The guardian during the minority of the minor and thereafter by the ex-minor provided that where the minor has an account opened by himself in the same Post Office, he shall close one of the two accounts on attaining the age of majority. He shall also give a declaration that the maximum balance held by him in all his accounts does not exceed the prescribed limit."

[No. F. 7(17)—NS/73]

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा० का० नि०:736—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (सातवां संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में, नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"16 क—सेना, वायु सेना और नौसेना के कर्मचारिवृन्द के खाते डाकघर बचत बैंक लेखा में जमा रकम का संदाय—जहां डाकघर बचत बैंक लेखा के धारक एवं सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या अभित्यजक पर, यथास्थिति, उस कोर, विभाग, डिटैचमेंट, एकक या पोत का, जिसमें वह मृतक या अभित्यजक था, कमांडिंग आफिसर अथवा समायोजन समिति, सेना या वायु सेना के व्यक्तियों की दशा में, सेना और वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 3 या धारा 4 के अधीन अथवा नौसेना के व्यक्तियों की दशा में नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 171 या धारा 172 के अधीन, कोई अध्यपेक्षा, उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को जिसमें मृतक या अभित्यजक का लेखा है

बचत बैंक लेखा में शोध्य रकम उक्त कमांडिंग आफिसर या समायोजन समिति को सदत्त करने के लिये भेजे तो डाकघर का भारसाधक अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की मत्यु या अधित्यजन के समय किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन प्रवर्तमान क्यों न हो।"

[फाइल संख्या 7(5) एन० एस०/73/1]

New Delhi, the 1st July, 1974

G.S.R. 736—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules 1965, namely —

1 (1) These rules may be called the Post Office Savings Banks (Seventh Amendment) Rules, 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Post Office Savings Banks Rules, 1965 after rule 16, the following rule shall be inserted, namely :—

"16 A Payment of amount at credit in a Post Office Savings Bank Account held by Army, Air Force and Navy Personnel—Where on the death or desertion of any person holding a Post Office Savings Bank Account and subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Navy Act 1957 (62 of 1957), the Commanding officer of the Corps, department, detachment, unit or ship to which the deceased or deserter belonged or the Committee of Adjustment, as the case may be sends, under Section 3 or Section 4 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950) in the case of a person belonging to the Army or the Air Force, or under section 171 or section 172 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957) in the case of a person belonging to the Navy, a requisition to the officer in charge of the Post Office Savings Bank where the account of the deceased or deserter stands to pay to him or it the amount due in the Post Office Savings Bank Account the officer of the Post Office shall be bound to comply with such requisition, even though there is in force at the time of death or desertion of such person a nomination made in favour of any person"

[No F 7(5)-NS/73/I]

सा० का० नि० 737—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् –

1 (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 में, नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"27—**सेना, वायु सेना और नौसेना कर्मचारिवृन्द द्वारा धारित प्रमाणपत्रों को भुनाया जाना**—जहां प्रमाणपत्र के धारक पर सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या नौसेना अधिनियम, 1957(1957 का 62) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या अधित्यजन पर, यथास्थिति, उस कोर विभाग, डिटैचमेंट, एकक या पोत का, जिससे वह मृतक या अधित्यजक था, कमांडिंग आफिसर अथवा समायोजन समिति, सेना या वायु सेना के व्यक्तियों की दशा में सेना और वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 3 अथवा धारा 4 के अधीन, या नौसेना के व्यक्तियों की दशा में नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 171 अथवा धारा 172 के अधीन, कोई अध्यपेक्षा, उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को जिसमें प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत है, प्रमाणपत्र के अन्तर्गत शोध्य रकम उक्त कमांडिंग आफिसर या समायोजन समिति को संदत्त करने के लिए भेजे तो डाकघर का भारसाधक अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या अधित्यजन के समय किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया कोई नामनिर्देशन प्रवर्तमान क्यों न हो।

[फाइल संख्या 7(5)-एन० एस०/73/2]

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

G.S.R. 737.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Govt Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely :—

1 (1) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, for rule 27, the following rule shall be substituted, namely :

"27. Encashment of certificates held by Army, Air Force and Navy Personnel—Where on the death or desertion of any person holding a certificate and subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the commanding officer of the Corps, department, detachment, unit or ship to which the deceased or deserter belonged or the Committee of Adjustment, as the case may be sends, under section 3 or section 4 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950) in the case of a person belonging to the Army, or the Air Force or under section 171 or section 172 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957) in the case of a person belonging to the Navy, a requisition to the officer-in-charge of the Post Office where the certificate stands registered, to pay to him or it the amount due under the certificate, the officer of the Post Office shall be bound to comply with such requisition even though there is in force at the time of death or desertion of such person a nomination made in favour of any person."

[No. F. 7(5)-NS/73/II]

A V SRINIVASAN, Under Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1974

सा० का० नि० 738.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 35 में, उपनियम (6) में, "2000 रु०" अंकों और संक्षेपाक्षर के स्थान पर, "4000 रु०" अंक और संक्षेपाक्षर रखे जाएंगे ।

[फा०स० 25/3/73-सी०एण्ड एस०]

ज० ग० राजाध्यक्ष उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st May, 1974

G.S.R. 738.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Silk Board Rules, 1955, namely :—

1. These rules may be called the Central Silk Board (Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 35 of the Central Silk Board Rules, 1955 in sub-rule (6) for abbreviation and figures "Rs. 2000" the abbreviation and figures "4000" shall be substituted.

[File No. 25/3/73-C&S]

J. G. RAJADHYAKSHA, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 13 जून, 1974

सा० का० नि० 739 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान सहायक (संगठन व पद्धति तथा कार्य अध्ययन एकक) के पदों की भर्ती के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**— (1) ये नियम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1974 कहे जा सकेंगे ।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में जैसा उल्लेख है उसके अनुसार होगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होगी ।

4. **अयोग्यताएं.**—(1) जिस पुरुष/महिला ने ऐसी/ऐसे महिला/पुरुष से विवाह कर लिया हो जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो अथवा (2) जिस पुरुष/महिला ने पत्नी/ पति के जीवित होते किसी अन्य महिला/पुरुष से विवाह कर लिया हो, ऐसे/ऐसी पुरुष/महिलाएं उक्त पदो में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे/होगी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक नियम के अंतर्गत अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों से आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से वह छूट दे सकती है ।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान सहायक (संगठन व पद्धति तथा कार्य अध्ययन एकक) के पद के लिए भर्ती के नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण (सेलेक्शन) पद या अप्रवरण (नान-सेलेक्शन) पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (संगठन व पद्धति तथा कार्य अध्ययन एकक) ।	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित अलिपिकीय)	रु० 325-15-475-द०रो०-20-575.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती-पद्धति सीधी-भर्ती से अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से यदि भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किए जाने है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती कराने मे संघ लोक सेवा आयोग परामर्श करना है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी समान पद पर ही कार्य कर रहे हों अथवा जिनकी रु० 210-530/210-425 के वेतनमान वाले अथवा समकक्ष पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो तथा निम्नलिखित योग्यताएं एवं अनुभव रखते हों : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष (2) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान कार्य अध्ययन संबंधी रक्षा संस्थान से कार्य अध्ययन प्रैक्टिशनर्स कोर्स में अथवा इसके समकक्ष कोर्स में किसी अन्य संस्था से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि-सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी) ।	लागू नही होता	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अनुसार अपेक्षित है।

[फा०स० ए-12018/6/73-प्र०-(I)]

एम० पी० एम० कुट्टी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 13th June, 1974

G.S.R. 739.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant (O&M and Work Study Unit) in the Department of Science and Technology, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Research Assistants) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications:**

No. person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of research Assistant (O & M and work Study unit) in the Department of Science and Technology

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Research Assistant (O&M and Work Study Unit).	Two	General Central Service, Class II (Non-gazetted, Non-ministerial).	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	**Transfer on deputation** : Officers holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 210-530/210-425 or equipvalent under the Central Government and possessing the following qualifications and experience: (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Should have successfully completed training in the Work Study Practitioners' Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. (Period of deputation-ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F.No. A-12018/6/73-Adm. I]

M.P.M. KUTTY, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1974

सा० का० नि० 740.— केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त-अधिनियम के प्रयोजना के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	स्थानीय सरकारों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रशासन-निदेशक विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली ।	विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान ।

[सं० 32-3/74-सी०ए०IV]

जे० एस० उप्पल, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 4th June, 1974

G.S.R. 740.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the Table below, being gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
The Director of Administration, Directorate of Extension, New Delhi	Premises under the direct administrative control of the Directorate of Extension, New Delhi.

[No. 32-/74/-C.A.IV.]

J. S. UPPAL,
Deputy Secretary

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा०का०नि० 741.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय में सहायक सांख्यिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति रक्षण संगरोध और संचयन निदेशलय (सहायक सांख्यिक) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष रूप प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी ।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा .

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक सांख्यिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित	350-25-500-30-590-रु०रो०-30-800-रु०रो०-30-830-35-900 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से सांख्यिकी या गणित सांख्यिकी सहित) में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से उपाधि जिसमें गणित या सांख्यिकी एक विषय रहा हो और किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय संस्थान से सांख्यिकी में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा । (2) वैज्ञानिक प्रयोगों की अभि-कल्पना करने और प्रयोगिक सामग्री का सांख्यिकी विश्लेषण करने में 3 वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्या-र्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि सांख्यिकी में प्रशिक्षण का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित

[सं० 13-13/73-पी०पी०एस०]

के० बालकृष्णन,
अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 1974.

G..SR. 741:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Statistician in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Assistant Statistician) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay** :—The number of the post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment age-limit, qualification, etc** :—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications** :—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** :—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classifications	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Statistician	1	General Central Service Class II Gazetted	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.	Not applicable	35 years (Relaxable for Government servants.	**Essential** : (i) Master's degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) of a recognised University or equivalent. Or Degree of a recognised University with Mathematics or Statistics as a subject and 2 years post-graduate Diploma in Statistics from a recognised Statistical Institute. (ii) 3 years experience in designing of Scientific experiments and Statistical analysis of experimental data. (Qualification relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified) **Desirable**: Diploma of certificate of training in Agricultural Statistics from a recognised Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958.

[No. 13-13/73-PPS]

K. BALAKRISHNAN, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1974

The following translation in Hindi of the Ministry of Agriculture, Department of Food (Accountant) Recruitment Rules, 1974, is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of Section 5, read with sub-section (3) of Section 3, of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

सा०का०नि० 742:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) में लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का नाम कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग (लेखापाल) भर्ती नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 मे विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 मे विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
लेखापाल	एक	वर्ग 2 अराजपत्रित अनुसचिवीय	500-20-700-द०रो० 25-900	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन में प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (1) किसी भी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग से एस०ए०एस० लेखा पाल या एस० ए०एस० उत्तीर्ण लिपिक । (2) सहायक और उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि-सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० 41/10/66-ई० 2]

र० रा० भाटिया,
अवर सचिव

(Department of Food)

New Delhi, the 25th June, 1974

G.S.R. 742.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Ministry of Agriculture (Department of Food) namely :—

1. **Short title and commencement** : (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Food (Accountant) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay** : The number of post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc** : The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification** :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accountant	Two	Class II Non-Gazetted Ministerial	Rs. 500-20-700-EB-25-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/transfer grades from which promotion to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation (i) S.A.S. Accountants or S.A.S. passed Clerks from any of the organised Accounts Departments such as Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department (ii) Assistants, or U.D.Cs with 5 years service in the grade of the Central Secretariat Service or Central Secretariat Clerical Service who have undergone training in Cash and Accounts in the Secretariat Training School. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 41/10/66—E II]

R.R. BHATIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

सा० का० नि० 743.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967, में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में मद 23 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"24 कनिष्ठ इंजीनियर (रासायनिक)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	400-400-450-30-600-35-670-द० रे०-35-950 रु०	लागू नही होता	35 वर्ष (सरकारी सेवको के लिये शिथिलनीय)	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक इंजीनियरिंग में उपाधि या समतुल्य (ii) रासायनिक इंजीनियरिंग या खाद्य प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान/विकास/उत्पादन का लगभग दो वर्ष का अनुभव। (अर्हतायें अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय)। **वांछनीय :** नमक के विनिर्माण प्रसंस्करण का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित"

[ए० 12018/9/73-ई० आई०]

New Delhi, the 28th June, 1974

G.S.R.743.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

(1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Nineth-Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after item 23 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"24 Junior Engineer (Chemical).	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs.400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950	Not applicable	35 years (Relaxable for Government Servants)	**Essential :** (i) Degree in Chemical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years experience in research/development/production in Chemical Engineering or Food Technology. (Cualification's relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable :** Experience in manufacture/Processing of salt.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[A. 12018/9/73-E.I]

सा० का० नि०744—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 मे और सशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—

1 (1) इन नियमो का नाम खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती (दसवा सशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2 खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची मे मद 24 और उससे सबधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टिया अंत स्थापित की जाएंगी, अर्थात्

1	2	3	4	5	6	7
"अनुसन्धान अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	500-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950 रु०	चयन	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय)	**आवश्यक** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी गणित अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) मास्टर की उपाधि, या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की विषय के रूप मे गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र के साथ उपाधि और किसी मान्यताप्राप्त सांख्यिकीय सस्थान स सांख्यकी मे दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) सांख्यिकीय आकड़ो के सग्रह, सकलन और निर्वचन सहित सांख्यिकीय कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। (अर्हता अन्यथा सु-अर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय) **वांछनीय :** भारत और विदेश मे खाद्य पदार्थ और पोषण की बाबत आकड़ो के स्त्रोतो का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
नही	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई उसी श्रेणी मे दो वर्ष की सेवा कर चुकने वाले सहायक अनुसन्धान अधिकारी।	वर्ग 1 विभागी प्रोन्नति समिति।	सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[ए०-12018/8/73-ई० आई०]

New Delhi, the 28th June, 1974.

G.S.R.744—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Tenth-Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after item 24 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inseted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"25 Research Officer	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950	Selection	40 years (Relaxable for Government Servants)	**Essential :** (i) Master's degree in Statistic-Mathematics / Economics Commerce (with Statistics of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics/ Statistics/ Economics as a subject and two years' post-graduate Diploma in Statistics from a recognised Statistical Institute. (ii) 5 years experience of Statistical Work involving collection, compilation and interpretation of Statistical data. (Qualification relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified) **Desirable:** Knowledge of sources of data regarding foodstuffs and nutrition in India and abroad.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion** Assistant Research Officer with 3 years service in the grade rendered after appointment on regular basis.	Class I D.P.C.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958"

[A.12018/8/73-E-I]

सा० का० नि० 745—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती (सप्तम् संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, मद 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
"22 परियोजना प्रशासक और समन्वयक ।	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1, राजपत्रित	1600-100-1800 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या कृषि रसायन या जीव-रसायन या सूक्ष्मजीव विज्ञान में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य शिल्पविज्ञान या रसायन इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (ii) खाद्य शिल्पविज्ञान और दुग्धशाला शिल्पविज्ञान में लगभग दस वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी) वांछनीय : (1) प्रारंभिक खाद्य संसाधन एककों के संगठित करने और लगाने का अनुभव । (2) खाद्य शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव ।

8	9	10	11	12	12
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है) पर स्थानान्तरण द्वारा, जिस के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (जिसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है) पर स्थानान्तरण. केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1300-1600 रु० के वेतनमान या समतुल्य पदों पर कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो या ऐसे अधिकारी जो मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि के अधीन समतुल्य हैसियत रखते हों और जिनके पास स्तम्भ 7 के अन्तर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं और अनुभव हों। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[ए०-12011/5/72-ई०-I]

यू०बी० वी०एल० नरसिम्हम, अवर सचिव

G.S.R. 745.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967 namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Seventh Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after item 21 and the entries relating thereto the following item and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"22. Project Administrator and Coordinator.	1	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1600-100-1800.	Not applicable.	45 years (Relaxable for Government servants).	**Essential.** (i) Master's degree in Chemistry or Agricultural Chemistry or Bio-Chemistry or Microbiology of a recognised University or equivalent. OR Degree in Food technology or Chemical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About 10 years experience in food technology and Dairy Technology. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.) **Desirable.** (1) Experience in organising and setting up pilot food processing units. (2) Research experience in the field of food technology.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short term contract). Officers under the Central or State Governments holding analogous posts or with at least 3 years service in posts in the scale of Rs. 1300-1600 or equivalent or officers holding equivalant status under the recognised Research Institutes/-Indian Council of Agricultural Research etc. and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7. (Period of deputation/contract-ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958".

[A. 12011/5/72-E. 1]

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

सा०का०नि० 746—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती (आठवां संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य और पोषण बोर्ड (अननुसचिवीय राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, मद 22 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
"23. कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग I, राजपत्रित	400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 द०	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय)	**आवश्यक** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से सांख्यिकी या गणित अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में एम०ए० की उपाधि या समतुल्य । या एक विषय के रूप में गणित/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्ष का स्नात-कोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य । (ii) खाद्य/पोषण/और कृषि से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और निर्वचन का लगभग तीन वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सु-अर्हित उम्मीद-वारों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय) । **वांछनीय :** क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात्, मलयालम या तमिल का ज्ञान ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (लघुकालीन सविदा को सम्मिलित करते हुए) पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (लघुकालीन सविदा को सम्मिलित करते हुए) पर स्थानान्तरण : भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा के श्रेणी 4 के अधिकारी या सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय/राज्य सरकारो के अधीन 350-900 रु० के वेतनमान या समतुल्य के पदो मे कम से कम तीन वर्षों की सेवा का अनुभव रखने वाले अधिकारी या भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्/स्वायत् निकायो/लोक उपक्रम इत्यादि मे समतुल्य पद धारण करने वाले और स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिये विहित अर्हताएं/अनुभव रखने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति/सविदा की अवधि सामान्यत तीन वर्ष से अधिक नही होगी) ।	लागू नही होता ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[ए०-12018/5/73-ई०आई०]

New Delhi, the 28th June, 1974.

G.S.R.746.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutritin Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Eighth Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after item 22 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"23. Junior Statistical Officer.	1	General Central Service, Class I Gazetted.	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.	Not applicable.	35 years (Relaxable for Government servants).	**Essential :** (i) Master's degree in Statistics or Mathematics/Economics/Commerce (with Statistics) of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics/Economics/Statistics as a Subject and 2 years Post-graduate diploma in Statistics from a recognized Institute or equivalent. (ii) About 3 years experience of collection, analysis and interpretation of Statistical data pertaining to Food/Nutrition/Agriculture. (Qualifications relaxable at Commission's descretion in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable:** Knowledge of regional languages viz., Malayalam or Tamil.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation (including short-term contract (failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers belonging to Grade IV of the Indian Economic Service/Indian Statiscal Service or officers holding analogous posts or officers with at least 3 years service in posts in the scale of Rs. 350-900 or equivalent under the Central/-State Governments or officers holding equivalent posts in the Indian Council of Agricultural Research/-autonomous bodies/Public Undertakings etc. and possessing the qualifications/-experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation/contract-ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consulation) Regulations, 1958.

[A-12018/5/73-E. I]

U.V.V.L. NARASIMHAM, Under Secy.

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1974

सा० का० नि०747.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के अधीन आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिए स्कूल, हैदराबाद में कुछ श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिये स्कूल (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियम, 1974 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2 लागू होना :—ये नियम उन पदों पर लागू होंगे, जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित हैं ।

3 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, नका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो संलग्न अनुसूची स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निर्हताए :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6 शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण है, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित है ।

अनुसूची

क्रम सं०	पदो का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शैक्षिक अध्यापक	4	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3-गैर-राजपत्रित गैर अनुसचिवीय ।	*170-10-290-द०रो० 15-380 रुपये	लागू नहीं	न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	**अनिवार्य :** 1. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री तथा उस विषय या उन विषयों में 48 या अधिक अंक, जिसके/जिनके लिये नियुक्ति की जाती है । 2. एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कालेज अथवा संस्था से बधिर अथवा आंशिक रूप से बधिर बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण/ डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी । 3. बधिर अथवा आंशिक रूप से बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** जिन्हें हिन्दी और तेलगू का पूरा ज्ञान होगा, उन्हें प्राथमिकत दी जाएगी । **विकल्प :** संख्या 2 और 3 पर दी गई अर्हताएं प्राप्त अध्यापकों के उपलब्ध न होने पर ऐसे व्यक्तियों को वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति किया जा सकता है जिनके पास सामान्य बच्चों को पढ़ाने की विश्वविद्यालय की डिग्री अर्थात् बी० एड०, एल० टी० बी० टी० इत्यादि, हैं तथा संख्या 1 पर दी गई अर्हताएं भी है । उन्हें बाद में आंशिक रूप से बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में ही सेवा-भीतर प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

*तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जायेगा ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती, वैसा न होने पर स्थानान्तरण और वह भी न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार में अनुरूप अथवा बराबर के पद पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती।	लागू नही	लागू नही

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	शिल्प प्रशिक्षक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 गैर राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	380-12-440-द०रो० 15-560-द०रो०-20-640 रु०	लागू नहीं	न्यूनतम 22 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	अनिवार्य: 1. मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष। 2. एक मान्यता प्राप्त कालेज अथवा राजकीय औद्योगिक या तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान से दो व्यवसायों मे प्रमाण-पत्र अथवा एक मान्यता प्राप्त संस्था मे एक शिल्प प्रशिक्षक के रूप में 3 वर्षों का अनुभव। **वांछनीय :** केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से शिल्प निर्माण में प्रशिक्षक का पाठ्यक्रम पास अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3.	शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 गैर राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	380-12-440-द० रो०-15-560-द०रो० 20-640 रु०	लागू नही	न्यूनतम 22 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	**अनिवार्य:** 1. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। 2. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में डिग्री। 3. एक मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा कालेज में शारीरिक प्रशिक्षण के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नही	लागू नहीं	लागू नही
लागू नही	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नही	लागू नही	लागू नही

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मैट्रन	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3 गैर राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	425-15-560-द० रो०-20-640 रुपये	लागू नही	न्यूनतम 22 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	**अनिवार्य :** 1. मैट्रिकुलेशन अथवा उसके बराबर। 2. नर्सिंग मे डिप्लोमा । 3 एक मान्यता प्राप्त हस्पताल मे स्टाफ नर्स के रूप में 3 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** होस्टल प्रबंध मे एक वर्ष का अनुभव
5	निम्न श्रेणी लिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3 गैर राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द०रो०-390-10-400 रु०	लागू नही	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष	**अनिवार्य :** 1. मैट्रिकुलेशन अथवा उसके बराबर। 2. अंग्रेजी टाइपराइटिंग 30 शब्द प्रति मिनट । **वछनीय :** किसी कार्यालय में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव ।
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3 गैर-राजपत्रित गैर अनुसचिवीय	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 रुपये	प्रचयन	लागू नही	लागू नही
			श्रेणी 4 पद				
1.	चपरासी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी-4 गैर-राजपत्रित	196-3-220-द० रो०-3-232 रुपये	लागू नही	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	**अनिवार्य :** 1 राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल से मिडिल पास । 2. साईकिल चलाने की जानकारी **वांछनीय :** 1. जिल्दसाजी की जानकारी । 2 जिन्हे राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में चपरासी के रूप मे दो वर्ष का अनुभव होगा, उन्हे प्राथमिकता दी जायेगी ।
2.	चौकीदार	2	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 गैर-राजपत्रित	196-3-220 द०-रो०-3-232 रुपये	लागू नही	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	**अनिवार्य :** मान्यता प्राप्त संस्था में चौकीदार के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

9	10	11	12	13	14
लागू नही	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नही	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नही	लागू नही	लागू नहीं
लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, वैसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**पदोन्नति :** निम्न श्रेणी लिपिक, जिसकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो । केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार मे अनुरूप या बराबर के पद से प्रतिनियुक्ति द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष से अधिक नही)	विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उपसचिव, (प्रशासन) जिसके अध्यक्ष है ।	लागू नही
			श्रेणी 4 पद		
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नहीं	लागू नही	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3. माली		1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 गैर-राजपत्रित	196-3-220-द०रो० 3-232 रुपये	लागू नही	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	अनिवार्य : 1. खादों, बीजों और पौधों की जानकारी । 2. किसी सार्वजनिक उद्यान में माली के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
4. मेहतर		1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 गैर-राजपत्रित	196-3-220-द०रो०- 3-232-रुपये	लागू नहीं	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	अनिवार्य : 1. किसी स्कूल अथवा कालेज अथवा हस्पताल या बाल कल्याण केन्द्र में मेहतर के कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।
5. परिचारिका		1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 गैर-राजपत्रित	196-3-220-द०रो०- 3-232 रुपये	लागू नहीं	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	अनिवार्य : 1. राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से मिडिल पास । 2. होस्टल अथवा सदन अथवा हस्पताल या बाल कल्याण केन्द्र में परिचारिका के रूप में दो वर्ष का अनुभव । 3. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा को ठीक तरह से बोल सकने की योग्यता ।
6. सेवक-एवं मैस-बाय (मैस परिचारिका)		1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 गैर-राजपत्रित	196-3-220-द०रो०- 3-232 रुपये	लागू नहीं	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष	अनिवार्य : 1. निम्नलिखित में 3 वर्ष का अनुभव। (1) होस्टल की रसोई अथवा मेस होटल में बावर्चियों की सहायता करना । (2) बर्तन और प्लेटें तथा रसोई साफ करना । (3) खाना परोसना । 2. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा की जानकारी । मिडिल पास को प्राथमिकता ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100 %	लागू नहीं	लागू नही	लागू नहीं
लागू नही	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100 %	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100 %	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100 %	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
7	बावर्ची	2	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV गैर-राजपत्रित	200-250 रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	अनिवार्य : 1. शाकाहारी और मांसाहारी खाने बनाने की व्यावहारिक जानकारी। 2 किसी मान्यता प्राप्त होस्टल अथवा सदन अथवा हस्पताल या बाल कल्याण केन्द्र इत्यादि की मैस में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। 3. हिन्दी और तेलगू का ज्ञान। मिडिल कक्षा पास की प्राथमिकता दी जायेगी।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[सं० एफ० 2-5/74 एच० डी०]

ओ० पी० चोपड़ा, अवर सचिव

(Department of Social Welfare)

New Delhi, the 21st May, 1974

G.S.R. 747.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III and Class IV posts in the School for Partially Deaf Children, Hyderabad under the Department of Social Welfare, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the School for Partially Deaf Children (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, the age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

RECRUITMENT RULES IN RESPECT OF CLASS III AND CLASS IV POSTS IN THE SCHOOL FOR PARTIALLY DEAF CHILDREN, HYDERABAD (ANDHRA PRADESH)

SCHEDULE

Sl No.	Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
	Class III posts	4	**General Central Services** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	*170-10-290-EB-15-380	Not applicable.	Minimum 20 years. Maximum 30 years.	**Essential :—** 1. Degree of a recognised University with 48% or more marks in the subject or subjects for which appointment is to be made. 2. Training to teach deaf or partially deaf children from a recognised Training College or Institution Diploma holders to be given preference. 3. Two years experience of teaching in a recognised school for the deaf or partially deaf. **Desirable :** Those having through knowledge of both Hindi and Telugu will be given preference. **Alternatively :** In the case of non-availability of teachers having qualifications as given at No 2 and 3 above those having University degree to teach normal children i.e. B.Ed. LT., B.T., etc. and also having qualifications as given at No. 1 above may also be appointed at the minimum of the scale and then given Inservice Training in the school itself to teach partially deaf children.
1. Academic Teachers							

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	Direct recruitment, failing which by deputation.	Recruitment by transfer or on deputation from analogous or equivalent post in the State or Central Government. (Period of deputation not to exceed 4 years.)	Not applicable.	Not applicable.

*to be revised in accordance with the Third Pay Commission's Report.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Craft Instructor	2	**General Central Service** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Not applicable.	Minimum 22 years Maximum 30 years.	**Essential :** 1. Matriculation or equivalent 2. Certificate in two trades from a recognised College or Government Industrial or Technical Training Institute ; OR Three years experience as a Craft teacher in a recognised institution. **Desirable :** Candidates having passed Instructor's Course in crafts making from a Central Training Institute or any other recognised Institute will be given preference.
3.	Physical Training Instructor.	1	**General Central Service** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	380-12-440-EB-15-560-EB-20-640.	Not applicable.	Minimum 22 years Maximum 30 years.	**Essential :** 1. Degree from a recognised University. 2. Degree in Physical Education from a recognised University. 3. Two years experience as Physical Training Instructor in a recognised school or college.
4.	Matron	1	**General Central Service** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	425-15-560-EB-20-640.	Not applicable.	Minimum 22 years Maximum 30 years.	**Essential :** 1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma in Nursing. 3. Three years experience as staff nurse in a recognised Hospital. **Desirable :** One year's experience in Hostel management.
5.	Lower Division Clerk.	1	**General Central Service** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 30 years	**Essential :** 1. Matriculation or equivalent. 2. English Type writing 30 words per minute. **Desirable :** Two years experience of work in any office.
6.	Upper Division Clerk.	1	**General Central Service** Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	By direct recruitment. 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By direct recruitment. 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By direct recruitment. 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By direct recruitment 100%.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years.	By promotion failing which by transfer or by deputation	**Promotion :** Lower Division Clerk with 5 years service in the grade. By transfer or deputation from analogous or equivalent post in the State or Central Government (Period of deputation not to exceed 4 years.)	Departmental promotion Committee exists with Deputy Secretary (Admn.) as Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CLASS IV POSTS													
1. Peon		1	General Central Service Class IV Non-Gazetted	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years	**Essential:** 1. Middle Pass from a Government or recognised School. 2. Knowledge of cycling. **Desirable :** 1. Knowledge of Book binding. 2. Those having about two years experience as peon in Government or Government recognised School will be given preference.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
2. Chowkidar		2	General Central Service Class IV Non-Gazetted	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years	**Essential** At least two years experience as Chowkidar in a recognised institution. **Desirable :** Ex-Army man to be given preference.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
3. Mali		1	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years	**Essential:** 1. Knowledge of Manures, seeds and types of plants. 2. Two years experience as a Mali in any public garden.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
4. Sweeper		1	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years.	**Essential:** 1. Three years experience of sweeping in any school or College or Hospital or Child Welfare Centre.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
5. Lady Attendant.		1	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years	**Essential:** 1. Middle pass from a Government or Government recognised school. 2. Two years experience as Lady attendant in a Hostel or Home or Hospital or Child Welfare Centre. 3. Able to speak both Hindi and regional language fluently.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
6. Server-cum-Mess-Boy (Mess attendant)		1	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	196-3-220-EB-3-232	Not applicable.	Minimum 18 years Maximum 25 years	**Essential:** 1. Three years experience in :— (i) assisting cooks in a Hostel kitchen or mess or Hotel. (ii) Cleaning utensils and dishes and kitchen. (iii) Serving food. 2. Knowledge of Hindi and regional language. Middle class pass to be preferred.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
7. Cooks		2	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	200-250	Not applicable.	Not applicable.	**Essential:** 1. Thorough practical knowledge of cooking vegetarian and non-vegetarian food. 2. At least three years experience in a mess of any recognised Hostel or Home or Hospital or Child Welfare Centre etc. 3. Knowledge of Hindi and Telegu. Middle class pass to be preferred.	Not applicable.	2 years.	By direct recruitment 100%	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[No. F. 2-5/74-HP]

O. P. CHOPRA, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1974

शुद्धि पत्र

सा०का०नि० 748.—राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी (श्रेणी I और श्रेणी II के पद) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 के बारे में इस विभाग की, दिनांक 28 मई, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 5-29/72-सी० ए० 1(5) में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किए जाएं :—

इन नियमों की अनुसूची में, प्रविष्टि सं० 4 के सामने सीनियर तकनीकी सहायक (अनुस्थापन) कालम 6 के नीचे " और इससे कम" शब्दों को काट दिया जाए तथा कालम 7 के नीचे शुरू में "आवश्यक" शब्द जोड़ दिया जाए।

[सं० एफ० 5-29/72-सी० ए०-1(5)]

बलदेव महाजन, अवर सचिव।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

New Delhi, the 2nd July, 1974

CORRIGENDUM

G.S.R. 748.—In this Department's Notification No. F. 5-29/72-CAI(5), dated the 28th May, 1974, regarding National Gallery of Modern Art (Class I and Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974, the following amendment/addition may be made:—

In the Schedule to these Rules against entry No. 4 Senior Technical Assistant (Restoration), under column 6 the words "and below" may be deleted and under Column 7 the word "Essential" may be added in the beginning.

[No. F. 5-29/72-CAI(5)]

BALDEV MAHAJAN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 29 जून, 1974

सा० का० नि० 749.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यह समाधान होने पर कि कोचीन निगम अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोचीन पत्तन के लिये न्यासी बोर्ड में न्यासी प्रतिनिधि के उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में उसके लिये विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचित करने में असफल रहा है, निर्देश देती है कि निर्वाचन 31 जुलाई, 1974 को या उससे पूर्व होगा।

[6-पी० जी० ए०(45)/73-I]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 29th June, 1974

G.S.R. 749.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government, having been satisfied that the Corporation of Cochin have failed for reasons beyond their control to elect a representative Trustee on the Board of Trustees for the Port of Cochin under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act within the period specified therefor in sub-section (1) of section 10 of the said Act, hereby directs that the election shall be held on or before the 31st July, 1974.

[No. 6-PGA(45)/73-I]

सा० का० नि० 750.—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में, अधिसूचित करती है कि श्री पी० के० कुरियन को एर्नाकुलम चैम्बर आफ कामर्स ने, श्री टी० ए० मोहम्मद कुन्जु की मृत्यु द्वारा कारित रिक्ति के स्थान पर कोचीन पत्तन बोर्ड में न्यासी के रूप में निर्वाचित किया है।

[सं० 6-पी० जी० ए०(15)/73]

के० एल० गुप्ता, उप सचिव।

G.S.R. 750.—In pursuance of sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies that the Ernakulam Chamber of Commerce has elected Shri P. K. Kurian to be a Trustee on the Board of Trustees for the Port of Cochin in the vacancy caused by the death of Shri T.A. Mohammad Kurju.

[No. 6-PGA(45)/73]

K. L. GUPTA, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 751.—यत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का प्रारूप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1403, तारीख 6 दिसम्बर, 1973 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i), तारीख 22 दिसम्बर, 1973 के पृष्ठ 2541 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उस द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार मास के भीतर, आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे;

और यत: उक्त राजपत्र 22 दिसम्बर, 1973 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और यत: उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझाव नहीं आए।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 इन नियमों का नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियम, 1974 है।

2 न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में, नियम 14 में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् –

"परन्तु यह और कि ऐसे स्थगित अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान के बारे सभी सदस्यों को तार द्वारा या लिखित संसूचना द्वारा सूचित किया जाएगा"।

[एस-32012/2(1)/73-डब्ल्यू ई (एम डब्ल्यू)]

जे० आर० बाग्ची,
अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st July, 1974

G.S.R. 751.—Whereas certain draft rules further to amend the Minimum Wages (General) Rules, 1950 were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Minimum Wages, Act, 1948 (11 of 1948) at page 2541 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 22nd December, 1973 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No G.S.R. 1403 dated the 6th December, 1973, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within four months from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd December, 1973

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, namely:—

1. These rules may be called the Minimum Wages (Central) Second Amendment Rules, 1974.

2. In the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, in rule 14, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members by telegram or by written communication".

[No. S-32012(1)/73-WI(MW)]

J. R. BAGCHI, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1974

सा०का०नि० 752.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय नई दिल्ली में अनुवादकों के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**—

(1) ये नियम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (हिन्दी अनुवादकों) की भर्ती नियम, 1974 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **संख्या वर्गीकरण और वेतनमान**—

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इसके साथ संलग्न परिशिष्ट के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** .—

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसकी पत्नी/पति जीवित है,

अथवा

(ख) जो अपने पति/पत्नि के जीवित रहते हुए विवाह करता है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया जाता है उस व्यक्ति पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य आधार है, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, वहां वह ऐसे कारणों, जिन्हें लेखबद्ध द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, तथा आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. इसके अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले संरक्षण एवम् अन्य रियायतें इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगी।

अनुसूची

हिन्दी अनुवादक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती की आयु	सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अनुवादक	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक-वर्गीय ।	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं होता	20 से 25 वर्ष	अनिवार्य -- (1) ऐच्छिक/अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री । अथवा विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री और प्रभाकर अथवा हिन्दी में अन्य समकक्ष अर्हता । (2) अंग्रेजी से हिन्दी में और विलोमत: अनुवाद कार्य का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण और रिक्त स्थानों का प्रतिशत जिन्हें विभिन्न पद्धतियों से भरा जाना है	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्र०श० स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसकी विफलता में सीधी भर्ती द्वारा ।	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों, अवर श्रेणी लिपिकों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-3 जिन्हें स्तम्भ 7 में उल्लिखित प्राप्त अर्हताओं के साथ 5 वर्षों का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि दो वर्ष जिसे एक वर्ष अथवा अधिक के लिये बढ़ाया जा सकता है)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

[फा० सं० ए०-12010/1/74-[illegible] 2]

शिव शंकर बत्रा, अवर सचिव

Ministry of Supply & Rehabilitation
(Deptt. of Supply)

New Delhi, the 3rd July, 1974

G.S.R.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Translators in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement:**— (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Hindi Translators) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of Pay:—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc:**—The method of recruitment, age limit,qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—No person—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF HINDI TRANSLATOR

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Hindi Translator	Two	General Central Service Class III (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	20 to 25 years	**Essential** (i) Degree of a recognised University with Hindi and English as elective/compulsory subjects. OR Degree of a recognised University with English as a subject, and Prabhakar or any other equivalent qualification in Hindi. (ii) At least two years' experience in translation from English to Hindi and vice versa.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is the composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
~~Not applicable~~	Two years	100% by transfer or deputation failing which by direct recruitment.	By transfer or deputation from amongst the Upper Division Clerks,Lower DivisionClerks of the Central Secretariat ~~Clerical Service and Stenographers Grade III of the Central Secretariat Stenographers~~ Service with at least 5 years' experience possessing qualifications specified in column 7. Period of deputation is two years which can be extended by one year or more.	Not applicable	Not applicable

[File No. A-12018/1/74—ES. II]

S. S. KSHETRY,

Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1974.